माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से, मैं वर्ष 2020–21 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को तथा इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्राप्त करने के 50वें वर्ष के अवसर पर, दिल की गहराईयों से बधाई देता हूँ। प्रदेश वासियों, विभिन्न सरकारों और प्रदेश के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश की गणना आज देश के विकसित राज्यों में की जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा मानव विकास के क्षेत्रों में प्रदेश अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। हमारा राज्य पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में एक role model State के रूप में विकसित हुआ है। विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार को कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। यह उपलब्धियाँ प्रदेश के लिए उल्लास का विषय है। मैं घोषणा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्राप्त करने के 50वें वर्ष पर 2020–21 को **'हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयन्ती वर्ष'** के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तथा प्रदेश की उपलब्धियां जनता के साथ साँझा की जाएंगी।

3. हमारी सरकार समावेशी विकास की पक्षधर है। वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालते ही अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक से ही यह स्पष्ट संदेश दिया था कि वो प्रदेश की जनता, विशेष रूप से कमजोर वर्गों, के प्रति अत्यधिक

संवेदनशील है। विगत् दो वर्षों में हमारे द्वारा उठाये गए सभी कदम इसी दिशा में उठे हैं। हमने प्रशासनिक सुधार के सन्दर्भ में भी बहुत सारे initiatives लिए हैं। इस कारण प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में structural (मूलभूत) परिवर्तन हुए हैं एवम् work culture में उत्साहजनक वृद्धि हुई है।

4. पिछला एक वर्ष भारत में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनते हुए अपना विश्वास पार्टी के नेतृत्व तथा नीतियों में जताया है। 2019 में हुए आम चुनावों में हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त प्राप्त हुई तथा अभूतपूर्व 69 मत प्रतिशत प्राप्त हुआ जो समस्त राज्यों में सर्वाधिक मत प्रतिशत है। अक्तूबर, 2019 में हुए विधानसभा उप–चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही है। दोनों चुनाव क्षेत्रों में युवा प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं और महिलाओं को आगे लाने के प्रति संकल्प का सूचक है।

5. हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता तथा युवाओं के साथ कई मंचों पर सीधा संवाद स्थापित किया है। 'जनमंच' के माध्यम से किए गए प्रयास इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में फरवरी, 2020 तक 189 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 47 हजार 848 शिकायतें व माँगे प्राप्त हुईं, इनमें से 43 हजार 548 शिकायतों का सन्तोषजनक निपटारा किया गया। इन प्रयासों के अप्रत्याशित रूप से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त **'e-Samadhan'** एवम् 'मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प' (**CM Helpline**) प्लेटफार्मस को

भी लोकप्रियता मिली है। मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प के माध्यम से फरवरी, 2020 तक प्राप्त 37 हजार 990 शिकायतों का सन्तोषजनक निवारण किया जा चुका है।

6. 7 और 8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में आयोजित ऐतिहासिक **"Himachal Pradesh Investors' Meet"** प्रदेश के विकास की राह में मील का पत्थर सिद्ध होगी। हमारी सरकार माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद इस आयोजन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की और यह चिरस्मरणीय शब्द कहे **"..... मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं भी एक प्रकार से हिमाचली हूँ। आप मेरे यहाँ आए हैं, आप मेरे मेहमान हैं ....."**। यह भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में माननीय प्रधानमन्त्री 3 बार हिमाचल आए। मैं इस सदन के माध्यम से, प्रदेश की जनता की ओर से प्रदेश के प्रति माननीय प्रधानमन्त्री जी के स्नेह के लिए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी निवेशकों का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रदेश की विकास यात्रा में सम्मिलित होने की पहल करने का निर्णय लिया है।

7. Investors' Meet प्रदेश में किसी भी सरकार द्वारा किया गया अपनी तरह का पहला प्रयास है। वास्तव में यह एक नई सोच और दृष्टि का परिचायक है। प्रदेश में निजी निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया में गति मिलेगी तथा रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। इस Meet के दौरान हस्ताक्षरित किए गए 97 हजार 700 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों में से लगभग 13 हजार 656 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन 27 दिसम्बर, 2019 तक ग्राऊंड कर लिए गए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, प्रदेश की जनता की ओर से देश के माननीय

गृह मन्त्री, श्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वर्तमान सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर Ground Breaking Ceremony में अपनी उपस्थिति से प्रदेश का मार्गदर्शन किया। शीघ्र ही दूसरी Ground Breaking Ceremony आयोजित की जाएगी।

8. हमारी सरकार ने Information Technology की सहायता से सरकारी कार्य–कलाप की विभिन्न व्यवस्थाओं को और अधिक कारगर तथा प्रभावी बनाया है। 'हिम प्रगति' के माध्यम से स्वयं मेरे द्वारा प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है जिसके फलस्वरूप red tapism पर रोक लगी है। विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों में लगने वाले समय में भी कमी आई है। निवेशक उत्साहित हैं तथा वे भी इस पोर्टल का उपयोग अपनी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं।

9. भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जवाबदेही बारे सजग है। मेरा मानना हैः–

अगर जिन्दगी में पाना है,
तो तरीके बदलो, इरादे नहीं।

10. हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र को सरकार का नीति दस्तावेज़ मानकर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के सार्थक प्रयत्न किए हैं एवम् कई कल्याणकारी योजनाओं को जनता को समर्पित किया है। निम्नलिखित योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगाः–

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली का अभूतपूर्व विस्तार
- हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना

- हिम केयर
- सहारा
- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष
- मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस योजना
- रोशनी
- सौर सिंचाई योजना
- हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना
- विभिन्न आवास योजनाओं में अतिरिक्त अनुदान
- नई राहें–नई मंजिलें
- मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना
- मातृ एवं शिशु कल्याण
- नशे के प्रति zero tolerance की नीति के दृष्टिगत आवश्यक पहल

'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की नीति के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहना चाहूँगाः–

फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं किसी से बेहतर करुं।
फर्क बहुत पड़ता है, अगर मैं किसी का बेहतर करुं।।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था।

11. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जनवरी, 2020 में प्रकाशित World Economic Outlook में वर्ष 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक मन्दी के बावजूद 2019–20 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। 2020–21 में यह वृद्धि दर बढ़कर 6 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2019–20 में लगभग 210 लाख करोड़ रुपये (3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) रहने की सम्भावना है। United Kingdom एवम् France को पीछे छोड़कर भारत अब विश्व की पाँचवीं

अर्थव्यवस्था बन गई है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप विश्व बैंक की "Ease of Doing Business" रिपोर्ट के अनुसार भारत, जो कि 2017 में 100वें स्थान पर था, 2018 में 77वें स्थान तथा 2019 में 63वें स्थान पर पहुँच गया है। केन्द्र सरकार की प्रभावशाली नीतियों की वजह से मंहगाई नियन्त्रण में है। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024–25 तक 360 लाख करोड़ रुपये (5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश भी अपना पूरा योगदान देगा।

12. केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई है। किसानों तथा कामगारों के लिए आरम्भ की गई क्रमशः **"प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि"** तथा **"प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन योजना"** के अन्तर्गत किसानों तथा कामगारों को सीधा लाभ पहुँचा है। इसके अतिरिक्त **"प्रधानमन्त्री आवास योजना"**, **"सौभाग्य योजना"**, **"उज्जवला योजना"**, **"प्रधानमन्त्री रोज़गार सृजन योजना"**, **"मुद्रा योजना"**, **"जन–धन योजना"**, **"प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना"**, **"प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना–आयुष्मान भारत"**, **"किसानों की आय दोगुनी करने का कार्यक्रम"**, **"स्वच्छ भारत मिशन"**, से समाज के प्रत्येक वर्ग के समान विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड को, सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में, वही अनुदान प्रदान किया जो पूर्वोत्तर राज्यों (North East) एवं जम्मू और कश्मीर को मिल रहा है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था।

13. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने प्रदेश का आर्थिक प्रबन्धन कुशलतापूर्वक किया है। इसके लिए हमारी

सरकार ने केन्द्र सरकार से बेहतर समन्वय बनाया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय फण्डिंग एजेंसीज़ से पोषित कई योजनायें विगत् दो वर्षों में आईं हैं। 2020–21 में कई योजनाओं के लिए loan agreement हस्ताक्षरित किए जाएंगे एवम् नई योजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

14. वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रदेश की आर्थिक विकास दर 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित दरों पर 1 लाख 65 हजार 472 करोड़ रुपये रहेगा जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11 हजार 627 करोड़ रुपये अधिक है। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2019–20 के दौरान 1 लाख 95 हजार 255 रुपये रहने का अनुमान है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 60 हजार 205 रुपये अधिक है।

सतत् विकास लक्ष्य एवं नीति।

15. वर्तमान सरकार ने अपनी विकास नीति का निर्धारण सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के अनुरूप किया है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने गत् वर्ष **'दृष्टि 2030'** के नाम से विज़न डाक्यूमेंट जारी किया था। अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई 'SDG India Report **2019–20'** के अनुसार हिमाचल प्रदेश को Sustainable Development Goals (सतत् विकास लक्ष्य) प्राप्त करने में, केरल के बाद द्वितीय स्थान मिला है। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, लिंग समानता, शहरी विकास, असमानताओं को घटाने तथा आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मैं सतत् विकास लक्ष्यों के साथ–साथ सुशासन, पारदर्शिता तथा विकास के अन्य आयामों को

ध्यान में रखते हुए 2020–21 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वार्षिक योजना।

16. 2020–21 के लिये वार्षिक योजना का परिव्यय 7 हजार 900 करोड़ रुपये है, जो कि 2019–20 के योजना आकार (7 हजार 100 करोड़ रुपये) से लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। प्रस्तावित 7 हजार 900 करोड़ रुपये में से 1 हजार 990 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उप–योजना, 711 करोड़ रुपये जन–जाति उप–योजना तथा 88 करोड़ रुपये पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिये प्रस्तावित है।

17. अध्यक्ष महोदय, वार्षिक योजना आकार में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा बाह्य अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाएगी।

18. 15वें वित्तायोग की 2020–21 की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए समुचित वार्षिक अनुदान की संस्तुति की गई है। 13वें वित्तायोग ने प्रदेश को औसतन 4,388 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान दिया था जो कि 14वें वित्तायोग में बढ़कर 14,407 करोड़ रुपये हो गया था। 15वें वित्तायोग ने 2020–21 के लिए 19,309 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान की सिफारिश की है। मैं भारत सरकार तथा 15वें वित्तायोग का प्रदेश की जनता की ओर से इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

19. चम्बा जिला Aspirational District Programme (ADP) के अन्तर्गत चयनित है। फलस्वरूप चम्बा में सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य

के पिछड़े क्षेत्रों तथा पंचायतों के समविकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अब समय आ गया है कि इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाए तथा अन्य ऐसी पंचायतों तथा विकास खण्डों की पहचान की जाए जो कि विकास की दृष्टि से अभी पिछड़े हों। 2020–21 में इस कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी तथा मैं राज्य के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ेपन के पुर्ननिर्धारित criteria के आधार पर एक नया **"Aspirational Development Block Programme (ADBP)"** शुरू करने की घोषणा करता हूँ जिससे कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समविकास हो सके।

20. बंगलुरु स्थित Public Affairs Centre द्वारा प्रकाशित Governance सम्बन्धित Public Affairs Index के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले के लिए Good Governance Index बनाने का कार्य शुरु किया है। जिलों के प्रशासनिक कार्यकलाप में सुधार के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि District Good Governance Index में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 50 लाख रुपये, द्वितीय स्थान वाले जिले को 35 लाख रुपये तथा तृतीय स्थान वाले जिले को 25 लाख रुपये ईनाम राशि दी जाएगी। प्रशासनिक सुधार।

21. अध्यक्ष महोदय, अधिकतम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को मिलने वाला उपदान सीधे उनके बैंक खाते में DBT द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। राज्य सरकार की 22 योजनाओं को इस सुविधा के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि विभाग DBT सुविधा अन्य राज्य योजनाओं में चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे।

22. प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी माननीय विधायकों के साथ आयोजित बैठकों के दौरान कई बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि 2020–21 में विधायक प्राथमिकता योजनाओं की समीक्षा के लिए एक अर्द्धवार्षिक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा।

23. माननीय विधायकों के साथ हुई दो दिवसीय बैठकों के दौरान विधायक प्राथमिकता वाली योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु एक प्रभावी समीक्षा एवम् अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित करने की माँग उभरकर आई है। मैं घोषणा करता हूँ कि विधायक प्राथमिकता वाली योजनाओं की जानकारी को आगामी वित्तीय वर्ष से online उपलब्ध करवाया जाएगा। द्वितीय चरण में इस प्लेटफार्म को लोक निर्माण, जल शक्ति तथा अन्य विभागों से भी जोड़ा जाएगा जिससे कि माननीय विधायक अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में होने वाले विधायक प्राथमिकता के कार्यों की सूचना real time basis पर जान पाएंगे। माननीय विधायकों के अनुरोध पर मैं वित्तीय वर्ष 2020–21 में NABARD तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र धनराशि सीमा को वर्तमान 105 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

24. माननीय विधायकों की माँग के दृष्टिगत मैं विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र के प्रावधान को बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार माननीय विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की भी घोषणा करता हूँ।

25. अध्यक्ष महोदय, 2018–19 के बजट अभिभाषण के दौरान मैंने इस सदन के माध्यम से APL राशन कार्ड

धारकों से अपील की थी कि वे प्रदेश के PDS के अन्तर्गत मिलने वाली सब्सिडी का स्वेच्छा से त्याग करें। इस सदन को मैं हर्ष के साथ सूचित करना चाहूँगा कि हमारी सरकार के सभी मन्त्रियों द्वारा इस सब्सिडी का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया है। मैं प्रदेश के सभी वर्गों से आशा करता हूँ, विशेषकर माननीय विधायक तथा सरकारी राजपत्रित श्रेणी–I तथा श्रेणी–II अधिकारी तथा सम्पन्न वर्ग जो खुले बाजार से खाद्य पदार्थों को क्रय करने में सक्षम हैं, वे PDS से मिलने वाले अनुदान का स्वेच्छा से परित्याग करें। इसे एक अभियान के रूप में शुरु किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी। 2020–21 में खाद्य पदार्थों पर मिलने वाले उपदान का युक्तिकरण किया जाएगा। हमारी सरकार उन परिवारों, बच्चों और माताओं के लिए अतिरिक्त nutrition/supplements देने के लिए कदम उठाएगी जो अभी कुपोषण के शिकार हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस क्षेत्र पर दिए जा रहे उपदान पर 230 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। मैं कहना चाहूँगाः–

सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर,
चलना भी जरूरी, है मंजिल को पाने के लिए।

सूचना प्रौद्योगिकी।

26. **'ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल'** के माध्यम से प्रदान की जाने वाली 52 G2C (Government to Citizen) सेवाओं की संख्या को बढ़ाकर 62 कर दिया गया है तथा अन्य सभी सेवाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल पर लोक मित्र केन्द्रों द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को चरणबद्ध ढंग से आम जनता के द्वार पर ऑनलाईन पहुँचाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों के काम–काज को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से 46 कार्यालयों में ई–ऑफिस का

प्रावधान कर दिया गया है। चरणबद्ध तरीके से अन्य सभी कार्यालयों में भी ई–ऑफिस का प्रावधान करने का लक्ष्य है।

27. आगामी वर्ष में मंत्री परिषद् की बैठकों को e-Cabinet सॉफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण करके पेपरलैस किया जाएगा।

गृहिणी सुविधा योजना।

28. भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने केन्द्र सरकार की उज्जवला योजना के पूरक के रूप में प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, वर्ष 2018–19 में आरम्भ की थी। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य वर्ष 2019 के अन्त तक प्रदेश के सभी परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को दिसम्बर, 2019 तक पूरा करने में सफल रही है। अभी तक 2 लाख 76 हजार परिवारों को **'गृहिणी सुविधा योजना'** के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आगामी वर्षों में जो भी नया परिवार आएगा, जिसके पास LPG गैस कनेक्शन न हो, उसे इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा।

कृषि एवं सिंचाई/ किसानों की आय दोगुना।

29. कृषक उत्पादक संगठन (FPO) किसानों, बागवानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों आदि प्राथमिक उत्पादकों के निकाय है। किसान/बागवान संसाधन जुटाने में प्रायः असफल रहते हैं। उन्हें फसल बुवाई से कटाई तक तथा कटाई के बाद ग्रेडिंग और पैकेजिंग मशीनों, परिवहन, भण्डारण गोदाम और पैक हाऊस जैसे बुनियादी ढाँचे तथा अन्य inputs की आवश्यकता होती है जिसके लिए दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत रहती है। मैं FPOs सुदृढ़ करने के लिए 20 करोड़ रुपये का **"कृषि कोष"** बनाने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे

FPOs को seed money, ब्याज subvention और क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। 2022 तक 75000 से 90000 किसानों को कृषि कोष का लाभ मिलने की संभावना है।

30. Institute of Himalayan Bio Technology (IHBT), पालमपुर द्वारा हींग की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है जो कि चम्बा, लाहौल स्पिति और किन्नौर जिलों के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। हींग की इस प्रजाति की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में केसर की खेती के लिए अनुकूल जलवायु एवम् वातावरण पाया गया है। अतः केसर उत्पादन आरम्भ करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं **"कृषि से संपन्नता योजना" (KSY)** की घोषणा करता हूँ।

31. किसानों की आय को दोगुना करने तथा कृषि सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने Model अधिनियम तैयार किए हैं। इनमें से Model Agricultural Produce and Livestock Marketing Act पर पहले ही माननीय सदन की समिति ने अपनी सिफारिशें प्रदान कर दी हैं। हमारी सरकार का प्रस्ताव है कि कृषि से सम्बन्धित अन्य Model अधिनियमों को भी माननीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

32. प्रदेश के बहुत से किसान परिवार निजी कारणों से गांव छोड़कर शहर में निवास कर रहे हैं या उनके बच्चे बाहर रहते हैं। परिणामस्वरूप उनकी कृषि भूमि खाली पड़ी रहती है। हमारी सरकार माननीय सदन के सभी दलों के सदस्यों की एक कमेटी बनाना प्रस्तावित करती है जो कि

खाली पड़ी भूमि को किसी अन्य, सिर्फ हिमाचली कृषक, को खेतीबाड़ी हेतु देने की व्यवस्था बारे अध्ययन करके अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादन को बल मिलेगा तथा किसानों की आर्थिकी भी सुधरेगी।

33. मुझे प्रसन्नता है कि दो वर्ष पूर्व प्रदेश में आरम्भ की गई **'प्राकृतिक खेती–खुशहाल किसान'** योजना के अन्तर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि योजना को लगभग 50 हजार किसानों ने अपनाया है। इस पद्धति के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। 2020–21 में इस संख्या को 1 लाख किसानों तक ले जाया जाएगा। इसके साथ ही एक लाख किसानों को जागरूकता शिविरों एवं मार्गदर्शक कार्यशालाओं के माध्यम से इस विधि को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के अन्त तक कम से कम 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत लाया जाएगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मैं 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

34. अध्यक्ष महोदय, खरीफ एवं रवी की बिजाई से पहले पूरे राज्य के सभी ब्लॉकों में कृषक मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय, बैंक के अधिकारी/ वैज्ञानिक/कर्मचारी भाग लेंगे जिससे कृषकों को तकनीकी तथा ऋण सम्बन्धी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके।

35. इस समय जल संग्रहण, संरक्षण तथा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अलग–अलग विभागों द्वारा किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का समुचित लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकारी विभागों में समन्वय की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी जल संरक्षण एवम्

प्रबन्धन हेतु एक समिति के गठन की घोषणा करता हूँ। इस समिति द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जल स्त्रोतों तथा संसाधनों के सतत् प्रबन्धन के लिए आवश्यक कदम सुझाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न पंक्तियों के माध्यम से पानी की महत्ता के बारे बताना चाहूँगाः–

जिसे अब तक न समझे, वो कहानी हूँ मैं।
मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।।

36. अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य समाप्ति पर है। शीघ्र ही इसे कमीशन कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से लगभग 3,000 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 2020–21 में **फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना** को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि 4,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सके। 2020–21 में इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

37. लघु सिंचाई योजनाओं को **'प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना'** के अन्तर्गत शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। 338 करोड़ रुपये की लागत से 111 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए भारत सरकार से अब तक 202 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं तथा इन सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त 3 हजार 534 हैक्टेयर भूमि पर 87 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से 4 और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। 2020–21 में इन परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया जाएगा एवम् अन्य परियोजनाओं की DPRs भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी।

38. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का बहुत विस्तारीकरण हुआ है परन्तु कमाण्ड क्षेत्र विकसित (Command Area Development) न होने के कारण सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी सभी किसानों के खेतों तक नहीं पहुँचा है। सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र में सभी किसानों की पैदावार एवं आय में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि वर्तमान में जो सिंचाई क्षमता विकसित की गई है, उसके पूरे दोहन के लिए Command Area Development (CAD) योजना के अन्तर्गत किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 2020–21 में 1,024 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया जाता है।

बागवानी।

39. प्रदेश के पात्र बागवानों एवं किसानों को अनुदान के आधार पर एण्टी हेलनेट का प्रावधान किया जा रहा है। इस एण्टी हेलनेट के माध्यम से बागीचे के पेड़ों तथा खेत के पौधों को ढकने के लिए बाँस अथवा स्टील की सहायता से बनी स्थाई संरचना की आवश्यकता होती है। इस स्थाई संरचना पर अभी तक सहायता नहीं दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूँ कि **"कृषि उत्पाद संरक्षण (एण्टी हेलनेट) योजना (KUSHY)"** नामक नई योजना के अन्तर्गत एण्टी हेलनेट के लिए बाँस अथवा स्टील के स्थाई structure पर बागवानों तथा किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। Anti Hailnet पर मिलने वाले अनुदान की वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी। मैं इस योजना के दोनों घटकों के लिए 2020–21 के लिए 50 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

40. वर्तमान में **'मुख्यमन्त्री मधु विकास योजना'** चल रही है परन्तु अब Bee Wax, Bee Venom, Pollen and

Royal Jelly इत्यादि मधु उत्पादों को स्वास्थ्य उत्पाद के रूप में विकसित करने के लिए इसे व्यवसायिक प्रोत्साहन प्रदान करने का समय आ गया है। इसके लिए मैं **"मधु उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना"** (**MUPY**) की घोषणा करता हूँ। 2020–21 में इसके लिए 7 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

41. ग्रामीण युवा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा कृषकों की आय को दोगुना करने की दिशा में सुगन्धित पौधों की खेती और processing अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम होगा। इस उद्देश्य से मैं **"महक"** योजना की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत कृषक एवं बागवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा व सुगन्धित पौधारोपण, विकास एवं विपणन हेतु processing इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।

42. हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत तीन CA स्टोर गुम्मा, जरोल टिक्कर व रोहडू का उन्नयन किया जाएगा। इस उन्नयन से CA स्टोरों की क्षमता 2,000 टन से बढ़कर 5,700 टन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इन तीनों CA स्टोर के पैक हाऊसिंग की ग्रेडिंग लाईन को भी उन्नयित किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार जरोल–टिक्कर में चैरी के लिए Hydrocooling की सुविधा भी स्थापित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के किसान भाईयों के विकास में योगदान को नमन करते हुए कहना चाहूँगाः–

जिनके होठों पर हँसी, व पाँवों में छाले होंगे,
वही लोग, अपनी मन्ज़िल को पाने वाले होंगे।

बागवानी क्षेत्र पर 2020–21 बजट अनुमानों में 536 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन विभाग/
गौ–संरक्षण।

43. प्रदेश के किसानों एवं बागवानों के लिए पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने हाल ही में विटामिन A तथा D से Fortified दूध **'हिम गौरी'** उपलब्ध करवाना आरम्भ किया है। मैं डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :–

- **'राष्ट्रीय गोकुल मिशन'** के अन्तर्गत प्रदेश के 11 जिलों के 3,300 गाँवों में निःशुल्क गर्भाधान योजना का आरम्भ किया जाएगा। इससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ौतरी होगी और किसानों की आय बढ़ेगी।

- उन्नत नस्लों की गायों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए काँगड़ा जिला में जर्सी गायों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों की गायों में उच्च उत्पादन क्षमता वाले Semen Straws के माध्यम से पैदा हुई बछड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- प्रदेश के सभी गैर–जनजातीय जिलों में एक गौ–अरण्य एवं एक बड़े गौ–सदन की चरणबद्ध ढंग से स्थापना की जाएगी। इससे प्रदेश के आवारा पशुओं को चयनित स्थानों पर रखने तथा उनकी उचित देखभाल करने में सहायता मिलेगी।

44. सरकार द्वारा भेड़–बकरी पालकों के लिए उपदान पर बकरियाँ उपलब्ध करवाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक प्रजनन के लिए भेड़ पर उपदान का प्रावधान जन–जातीय वर्ग तक सीमित है। मैं घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2020–21 से सभी वर्गों के लाभार्थी प्रजनन के लिए भेड़ पर उपदान के पात्र होंगे।

45. किसानों की आय में वृद्धि के लिए मुर्गी पालन क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। मैं **"हिम कुक्कुट पालन योजना" (HIMKUPY)** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में सभी वर्गों के 100 किसानों को प्रतिवर्ष 5,000 तक ब्रॉयलर प्रदान किए जाएंगे। यह लाभ उन लाभार्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने मुर्गी पालन में सरकारी संस्थाओं से आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

46. पशुधन की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पशुपालकों के द्वार पर करने के उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में पायलट आधार पर **"मोबाईल वैटनरी सेवा (MOVES)"** का प्रावधान किया जाएगा।

47. समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 2020–21 में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 120 पद भरे जाएंगे।

48. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं दूध खरीद मूल्य को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। वर्ष 2020–21 के लिए मिल्कफैड को 23 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ।

पशुपालन क्षेत्र पर 2020–21 बजट अनुमानों में 477 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मत्स्य पालन।

49. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 13,000 मछुआरे व मत्स्य कृषक परिवार इस स्रोत से आजीविका कमा रहे हैं। प्रदेश सरकार 2020–21 में 100 नई ट्राऊट इकाईयों का निर्माण करेगी। इसके अतिरिक्त ट्राऊट मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए **"ट्राऊट मत्स्य पिंजरों"** का निर्माण करवाया जाएगा। कॉर्प मछली के उत्पादन को बढ़ाने

के लिए नालागढ़ कॉर्प मछली फार्म में Recirculating Aqua Culture System (RAS) की स्थापना की जाएगी।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास।

50. विलुप्त तथा क्षीण जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा ढलानदार खेतों में प्रवाह सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए 2020–21 से एक नई योजना **'पर्वत धारा'** की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत Satellite Image के आधार पर जल संग्रहण जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इनका रख–रखाव तथा प्रबंधन मनरेगा के अन्तर्गत किया जाएगा। इससे गर्मी के मौसम में सिंचाई का प्रावधान हो पाएगा और भू–जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। इस योजना पर 2020–21 में 20 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

51. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रदेश भर में 2,000 लोकमित्र केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन लोकमित्र केन्द्रों के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। इन लोकमित्र केन्द्रों पर सुनियोजित ढंग से कार्य आरम्भ किया जाएगा। इन केन्द्रों का निर्माण पंचायत घरों में किया जाएगा।

52. ग्रामीणों द्वारा तैयार उत्पाद जैसे बांस से निर्मित उत्पाद, पत्तलें, मिट्टी के बर्तन आदि के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में, जहाँ भी समुचित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध करवाया जाएगा, वहाँ पर इन उत्पादों के प्रदर्शन तथा विक्रय हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 2020–21 में प्रत्येक जिले में एक स्थानीय **'सरस'** मेले का आयोजन किया जाएगा।

53. मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे सभी कामगार, जो कि 100 दिवस का रोज़गार पा चुके हों, उनके परिवार से कम

से कम एक व्यस्क सदस्य को कौशल विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मैं एक नई योजना **"उन्नति"** को 2020–21 में आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

54. प्रदेश में बढ़ती हुई Life Expectancy के दृष्टिगत वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए 2020–21 में **"पंचवटी"** योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों तथा बागों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

55. हमारी सरकार ने ठोस कचरा प्रबन्धन क्षेत्र में बड़ी पहल की है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 ग्राम पंचायतों को कचरा मुक्त बनाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

56. तम्बाकू सेवन तथा धूम्रपान की प्रवृति तथा तम्बाकू प्रयोग से होने वाले जानलेवा रोगों की रोकथाम के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसी प्रत्येक पंचायत जो तम्बाकू सेवन मुक्त हो जाएगी उसे 5 लाख रुपये अनुदान प्रदान किया जाएगा।

57. 2019–20 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पाँचवें राज्य वित्तायोग की अनुशँसा पर 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मैं इस प्रावधान को 2020–21 के लिए बढ़ाकर 228 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त 15वें केन्द्रीय वित्तायोग की सिफारिश के अनुरूप भारत सरकार के माध्यम से 429 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने प्रदेश सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है और यह अनुदान पंचायत समितियों और जिला परिषदों को

भी दिया जाएगा। अतः इस राशि को पंचायती राज की तीन स्तरीय संस्थाओं में वितरित किया जाएगा।

58. मैं पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

59. अध्यक्ष महोदय, 5वें राज्य वित्तायोग की सिफारिशों की समयावधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो जाएगी। मैं छट्ठे राज्य वित्तायोग के शीघ्र गठन की घोषणा करता हूँ।

वन संरक्षण एवं वनों से रोज़गार।

60. सतत् विकास लक्ष्य संख्या–15 के अनुरूप 2030 तक राज्य के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत क्षेत्र वन आवरण के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है जो कि वर्तमान में 27.72 प्रतिशत है। हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 12,000 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3,000 हैक्टेयर अधिक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन विभाग 1 करोड़ पौधे रोपित करेगा। आगामी वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण विकसित किया जा सके। मैं इस के लिए 2020–21 में 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

61. हमारी सरकार ने 2018–19 में **'सामुदायिक वन संवर्धन योजना'** एवं **'विद्यार्थी वन मित्र योजना'** आरम्भ की थी। **'सामुदायिक वन संवर्धन योजना'** के अन्तर्गत 2020–21 में साँझा वन प्रबंधन समितियों/ग्राम वन विकास समितियों के माध्यम से 200 हैक्टेयर भूमि में पौधरोपण व भू एवं जल संरक्षण कार्य करवाये जाएंगे। इसी वर्ष में **'विद्यार्थी वन मित्र योजना'** के अन्तर्गत 100 नए

स्कूलों का चयन करके उनके नजदीक चिन्हित भूमि में विद्यार्थियों द्वारा पौधरोपण करवाया जाएगा।

62. निजी भूमि पर व्यवसायिक वन्य प्रजातियों के पौधों के रोपण द्वारा अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार 2020–21 में वन विभाग की पौधशालाओं में 50,000 चंदन के पौधे तैयार करवाएगी ताकि इन्हें आगामी वर्षों में लोगों को निजी भूमि के लिए उपलब्ध करवाया जा सके।

63. हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा तीन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रमशः Improvement of Himachal Pradesh Forest Eco-System Management and Livelihoods, Integrated Development Project for Source Sustainability और HP Forest Ecosystem Climate Proofing Project कार्यान्वित की जा रही हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 2,500 हैक्टेयर भूमि से लैंटाना का निर्मूलन, 2,500 हैक्टेयर भूमि पर जल संरक्षण एवं प्रबन्धन कार्य तथा 5,000 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के सुचारू रूप से कार्य हेतु 2020–2021 में 139 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

64. वन विभाग द्वारा नेचर ट्रेल, साहसिक खेल, ट्रैकिंग गाईड इत्यादि गतिविधियों से सम्बन्धित तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा जिससे 500 युवाओं को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।

65. मैंने इस बजट भाषण में **'पर्वत धारा'** योजना की घोषणा की है। वन क्षेत्र में इस योजना का कार्यान्वयन वन विभाग करेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए 20 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित करता हूँ।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

66. मैं कुल्लू घाटी में ग्लेशियर के प्रकोप के प्रति संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस प्रणाली को स्थानीय लोगों की भागीदारी में कैचमैंट स्तर पर स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राज्य और कुल्लू जिले के आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मिलकर इस दिशा में काम करेंगे।

67. HP State Spatial Data Infrastructure परियोजना के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सगठनों को spatial डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा जो विभागीय योजनाओं को बनाने व कार्यान्वित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा।

68. 'बॉयोटैक्नॉलोजी में **'कौशल विज्ञान कार्यक्रम'** परियोजना के अन्तर्गत 100 स्नातक जैव प्रौद्योगिकी छात्रों को Hands-on Training प्रदान की जाएगी।

69. 2020–21 में हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा करसोग कुल्थ तथा चम्बा जिला के पांगी की ठांगी, चम्बा धातु शिल्प, चम्बा चुख और भरमौरी राजमाह उत्पादों के लिए कम से कम 5 Geographical Indications (GI) पंजीकरण करवाए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

गुणात्मक शिक्षा।

70. अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार में अनेकों उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं जिनकी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना भी हुई है। इस विस्तारीकरण के बाद अब गुणात्मक पहलू की ओर ध्यान देना आवश्यक है। प्रदेश के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के विभिन्न गुणात्मक आयामों के सुधार के लिए निम्न प्रस्तावित करता हूँः–

- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मैं क्लस्टर स्कूलों को उन्नयित करने के लिए **"स्वर्ण**

जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना (ज्ञानोदय)" शुरु करने की घोषणा करता हूँ। योजना के तहत 100 क्लस्टर स्कूलों में बच्चों/अध्यापकों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी जिनमें बेहतर टॉयलट, बिजली और पंखों की व्यवस्था, स्मार्ट कक्षा, फर्नीचर, पानी, लाईब्रेरी, खेल–कूद सुविधा शामिल है। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती छात्रों के अनुपात से की जाएगी। हमें आशा है कि इस प्रयास से बच्चे और अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपना विश्वास दर्शाएंगे। इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- उच्च शिक्षा विभाग में नई **"स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना (उत्कृष्ट)"** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत 68 स्कूल, जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 500 या इससे अधिक है, को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। योजना के तहत स्कूलों का नवीकरण किया जाएगा जिसमें फर्नीचर का प्रावधान, विद्यालय प्रांगण विकसित करना, खेल–कूद सुविधाओं में सुधार, जिम, स्मार्ट क्लास तथा विज्ञान प्रयोगशालाएं, बेहतर शौचालय और पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। इन विद्यालयों में आवश्यक Teacher Taught Ratio को सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- हमारी सरकार प्रदेश 9 महाविद्यालयों को **'उत्कृष्ट'** महाविद्यालयों के रूप में जिम तथा अन्य सुविधाओं सहित स्थापित करेगी। इससे इन महाविद्यालयों में छात्रों को उन विभिन्न विषयों के चयन करने का अवसर मिलेगा जो अन्य महाविद्यालयों में उपलब्ध

नहीं हैं। इनमें Teaching Taught Ratio मानदण्डों के अनुसार रखा जाएगा। मैं इस योजना के लिए 9 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

- प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए गणित में आवश्यक कौशल और निपुणता लाने के लिए हमारी सरकार ने 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनके माध्यम से गणित शिक्षा का सरलीकरण किया जाएगा तथा इसे रोचक बनाया जाएगा।
- हमारी सरकार द्वारा C.V. Raman Virtual Classroom Yojana आरम्भ की गई है। इस योजना के माध्यम से ऐसे महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में Virtual Classroom के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है, जहाँ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षकों की कमी है। इस योजना की आरम्भिक सफलता के बाद 106 नये शैक्षणिक संस्थानों में Virtual Classroom स्थापित किए जाएंगे। मैं यहाँ माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर कहे गए वाक्यों को दोहराना चाहूँगाः–

"गुणवत्ता शिक्षा को साक्षरता के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम परिव्यय पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, अब हमारे लिए अपनी शिक्षा प्रणाली के परिणाम पर ध्यान केन्द्रित करने का समय आ गया है।"

71. B.Voc को प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 12 महाविद्यालयों में शुरु किया गया है। मैं 2020–21 से B.Voc डिग्री प्रोग्राम को 6 नये महाविद्यालयों में शुरु करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्तमान में 703 विद्यार्थी B.Voc के अन्तिम वर्ष में पढ़ रहे हैं। इन विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के लिए व्यवस्था की जाएगी।

72. हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही **'मेधा प्रोत्साहन योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश के मेधावी छात्रों को व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत् मैं एक नई योजना **"स्वर्ण जयन्ती सुपर 100"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले 100 विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। मैं प्रदेश के विद्यार्थियों को यह कहना चाहूँगा किः–

यह आसमां का इशारा है,
कल का सूरज तुम्हारा है।

73. प्रदेश के युवाओं को खेल–कूद एवम् व्यायाम के लिए बेहतर सुविधायें देने के उद्देश्य से मैं घोषणा करता हूँ कि सरकारी मैडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा अन्य राजकीय व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से जिम/ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

74. हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में शिक्षण संस्थानों में 10,700 पद भरने की स्वीकृति दी है। अभी तक 4,000 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। शेष पद जल्द भर दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी स्कूल में शिक्षक के पद खाली न रहें ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके लिए विभाग अग्रिम रूप से खाली पदों का मूल्याँकन करके शिक्षकों की भर्ती इस ढंग से करेगा ताकि स्कूलों में खाली पदों की समस्या समाप्त हो जाए। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। आवश्यकतानुसार स्कूलों के युक्तिकरण का भी प्रस्ताव है ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

75. मैं शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवायें दे रहे IT शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ौतरी की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

76. वर्तमान में पार्ट टाईम जलवाहक पूरी दिहाड़ी पर आने के बाद 6 वर्ष की सेवा के बाद नियमित होने के लिए पात्र होते हैं। मैं इसे 5 वर्ष करने की घोषणा करता हूँ। हमारी सरकार ने उन प्राथमिक स्कूलों में, जहाँ पर कोई भी पार्ट टाईम या दैनिक भोगी जलवाहक न हो, वहाँ पर पार्ट टाईम मल्टीटास्क वर्कर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है ताकि पठन–पाठन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

77. मण्डी में **'सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय'** ने काम करना आरम्भ कर दिया है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 138 सरकारी महाविद्यालय तथा 69 निजी महाविद्यालय कार्यरत हैं। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि मण्डी एवं निकटवर्ती जिलों के महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाएगा जिससे कि यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से Affiliating विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो सके। मेरी सरकार का यह संकल्प है कि यह विश्वविद्यालय full-fledged विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

78. हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने भारतीय सेना को गौरवान्वित किया है और अभूतपूर्व सेवाएं दी हैं। NCC युवाओं को फौज/पैरामिलिटरी और पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक बटालियन और कम्पनियां खोली जाएंगी ताकि और अधिक कैडेट NCC के B और C प्रमाण पत्र का लाभ ले सकें।

79. अध्यक्ष महोदय, मैं मिड–डे–मील वर्कर्रज़ तथा वाटर कैरियरज को मिलने वाले मासिक मानदेय को 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

शिक्षा पर 2020–21 में 8,016 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा शिक्षा/नशामुक्ति।

80. हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तारीकरण के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया है। **'हिम केयर'** तथा **'सहारा'** जैसी योजनाओं से प्रदेश की जनता को लाभ पहुँचा है। **'हिम केयर'** योजना के अन्तर्गत अब तक 68 हजार 222 लाभार्थियों को लगभग 63 करोड़ रुपये तथा **'आयुष्मान भारत'** के अन्तर्गत 52 हजार 922 लाभार्थियों को लगभग 53 करोड़ रुपये की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाई गईं हैं।

81. प्रदेश सरकार केन्द्र द्वारा तय सीमा से पहले क्षय रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए **'क्षय रोग निवारण योजना'** लागू की जा रही है। पिछले वर्ष क्षय रोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। मेरा प्रस्ताव है कि इस योजना के अन्तर्गत दवा प्रतिरोधी तपेदिक के लिए diagnostic सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। इस के लिए line probe assays की सुविधा, जो कि अब तक केवल IRL, धर्मपुर में ही उपलब्ध थी, को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टाण्डा में भी शुरु किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दवा प्रतिरोधी क्षय रोगियों के लिए पोषण बढ़ाने के लिए, मैं उपचार के दौरान सभी मल्टी ड्रग प्रतिरोधी क्षय रोगियों को इस योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने की घोषणा करता हूँ।

82. पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत में वृद्धि हुई है। शायद यही एक ऐसा कैंसर है जिसका यदि आरम्भिक अवस्था में ही पता चल जाए तो इसका पूर्ण इलाज़ सम्भव है। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में 2020–21 के दौरान ही Mamography मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही महिलाओं में cervical कैंसर की रोकथाम तथा महिलाओं में जागरुकता के लिए एक नया कार्यक्रम अभियान के रूप में आरम्भ किया जाएगा। बच्चियों तथा किशोरियों के vaccine टीकाकरण के लिए सभी बिन्दुओं पर अध्ययन के बाद एक विस्तृत कार्य नीति बनाई जाएगी। इन दोनों उद्देश्यों के लिए मैं एक नई योजना **"स्वस्थ और सशक्त किशोरित्व एवं मातृत्व"** (SKM) प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

83. हमारी सरकार ने पिछले वर्ष **'सहारा'** योजना आरम्भ की थी। इस योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत 8 हजार 188 पंजीकृत लाभार्थियों में से 5 हजार 580 लाभार्थियों को उपदान प्रदान किया जा रहा है तथा शेष बचे लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें भी यह लाभ देना आरम्भ कर दिया जाएगा। इस सहायता को मैं बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

84. HIV पीड़ित लोगों को पूरे जीवनकाल में एंटी रेट्रोवायरल थैरेपी लेनी पड़ती है जो कि ART केन्द्रों के माध्यम से सभी HIV रोगियों को मुफ्त दी जा रही है। राज्य में 6 ART केन्द्र हैं और रोगियों को अक्सर अपने इलाज के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। इन्हें घरों के समीप ART की सुविधा प्रदान करने के लिए मैं

डॉ0 यशवन्त सिंह परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन, पण्डित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चम्बा और लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक में भी यह सुविधा शुरु करने की घोषणा करता हूँ।

85. राज्य सरकार एनीमिया से निपटने के लिए सभी प्रयास कर रही है। राज्य में कई बच्चे हीमो–ग्लोबिनो–पैथी (Haemoglobinopathy) जैसे कि थैलासीमिया या सिक्कल सैल disease से पीड़ित हैं, जो कि एक आनुवंशिक विकार है। इस विकार का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने के लिए राज्य सरकार सभी स्कूलों में बच्चों की सामूहिक जाँच करवाने के लिए कार्य करेगी।

86. बच्चों की मृत्यु दर (IMR) को और कम करने के उद्देश्य से मैं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज, टाण्डा में Maternal and Neo-natal Intensive Care Unit की सुविधा सहित एक आधुनिकतम बाल चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

87. मुख्यमन्त्री निरोग योजना के तहत Non Communicable Diseases (NCD) के risk factors के लिए 15 लाख से अधिक लोगों का आकलन किया गया है। स्क्रीनिंग के बाद पाए गए रोगियों की संख्या के दृष्टिगत मैं राज्य भर में 10 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में **'एकीकृत निरोग क्लीनिक'** खोलने का प्रस्ताव करता हूँ।

88. अब तक 11 अलग–अलग श्रेणियों के रोगियों को 56 परीक्षणों के लिए निःशुल्क diagnostic सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मैं इस सुविधा को सभी तक पहुँचाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

89. मैं नशामुक्ति एवम् पुनर्वास के प्रयासों को बल देने के उद्देश्य से State Mental Health Authority को अनुदान के रूप में समुचित प्रावधान की घोषणा करता हूँ।

90. मैं घोषणा करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग एक व्यापक IT आधारित प्रणाली **'HIMAROGYA'** विकसित करेगा जिसमें सभी नागरिकों को unique स्वास्थ्य ID दी जाएगी। इस unique स्वास्थ्य ID के माध्यम से प्रदेश वासियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवायें मिलने में आसानी होगी।

91. राज्य में कुछ दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। मैं 10 **"मोबाइल हैल्थ सैंटर"** शुरु करने की घोषणा करता हूँ। इनका उद्देश्य दूर–दराज़ और अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी श्रृंखला मोबाईल वैन के द्वारा प्रदान करना है।

92. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 108 सेवा के अन्तर्गत 198 एम्बुलैंस चल रहीं हैं। हाल ही में पुरानी हो गई 46 एम्बुलैंस के स्थान पर नई एम्बुलैंस प्रदान की गईं हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि 100 अतिरिक्त पुरानी एम्बुलैंस को शीघ्र बदला जाएगा।

93. मेरे ध्यान में यह बात है कि कभी–कभी कुछ बेसहारा लोग गम्भीर अवस्था में अस्पतालों में छोड़ दिए जाते हैं। अस्पताल प्रशासन को उनकी देखभाल करने में कई मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोगों को मुफ्त ईलाज़ तथा diagnostic सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना **"सम्मान"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के सभी वासियों को संदेश देना चाहूँगा किः–

घर के बुज़ुर्ग अगर मुस्कुराते मिलें,
तो समझ लेना कि आशियाना अमीरों का है।

94. प्रदेश वासियों का स्वास्थ्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त दवाईयाँ वितरित की जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिए मैं 2020–21 में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।

95. आशा वर्करज़ को **'जननी सुरक्षा योजना'** के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति और BPL परिवारों की गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच और संस्थागत प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। मैं घोषणा करता हूँ कि अन्य सभी वर्गों की गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच एवम् संस्थागत प्रसव के लिए भी ऐसी ही प्रोत्साहन राशि आशा वर्करज़ को दी जाएगी। इस पर राज्य सरकार लगभग 5 करोड़ रुपये व्यय करेगी। इसके साथ ही आशा वर्कर को प्रदेश सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय में राज्य अँशदान को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।

96. मैं 2020 में प्रदेश के सरकारी आयुर्वेद संस्थानों में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाईयां देने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये 2020–21 में स्वास्थ्य विभाग को 2,702 करोड़ रुपये तथा आयुर्वेद विभाग को 307 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सभी प्रदेश वासियों के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मैं कहना चाहूँगाः–

ऐ सुबह तुम जब भी आना,
सबके लिए खुशियाँ लाना।
हर चेहरे पर हँसी सजाना,
हर आँगन में फूल खिलाना।।

सहकारिता।

97. प्रदेश में सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा उनके कार्यकलाप में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य में सहकारिता कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सहकारी समितियों को इन संशोधनों के माध्यम से आय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे और इनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।

शहरी विकास।

98. अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी ट्रैफिक, संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ, अत्यधिक भीड़ इत्यादि समस्याओं से हम अवगत हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ संस्थाओं तथा अभिकरणों के वर्तमान स्थान में परिवर्तन आवश्यक है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि गंज बाजार स्थित अनाज मण्डी तथा भड्डा कुफर स्थित काठ मण्डी को टूटीकण्डी बाईपास पर दाड़नी का बागीचा में स्थानान्तरित किया जाएगा। इस नई मण्डी में आधुनिक सुविधाओं जैसे कि ई–शौचालय, CCTV, आधुनिक लदान सुविधाएं, पार्किंग, सोलर पैनल इत्यादि का प्रावधान किया जाएगा।

99. मण्डी शहर में पार्किंग के लिए जगह की नितान्त कमी के दृष्टिगत मैं घोषणा करता हूँ कि मण्डी में एक बहुमंजलीय पार्किंग तथा commercial complex का PPP मोड में निर्माण किया जाएगा। वर्तमान राजकीय प्री–प्राईमरी तथा प्राईमरी स्कूल को स्मार्ट कक्षाओं सहित मॉडल स्कूल के रूप में पुर्नस्थापित किया जाएगा।

100. हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा उनसे होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार 2020–21 में Model Municipal Building Bylaws अधिसूचित करेगी।

101. शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादनों की बिक्री के लिए उन्हें e-Market/e-Commerce Platforms के साथ जोड़ने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। इससे इन समूहों को अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो जाएगा।

102. 2020–21 में **'Deen Dayal Antodaya Yojna-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)'** के अन्तर्गत 1,000 लाभार्थियों को प्लाम्बिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 500 कामगारों को wage employment उपलब्ध करवाया जाएगा।

103. हिमुडा द्वारा धर्मशाला, जाठिया देवी और देहरा में नई टाऊनशिप बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन जगहों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना तैयार की जा रही है और आगामी वर्ष में इन पर कार्य शुरु किया जाएगा।

104. स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शिमला एवं धर्मशाला को चयनित किया गया है। इस योजना को और गति प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता राशि जारी करेगी। इस मिशन के लिए 2020–21 के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

105. हिमाचल प्रदेश सरकार ने **'अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार'** आरम्भ किया है। इस पुरस्कार के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस पुरस्कार की परिधि का मैं विस्तार करने की घोषणा करता हूँ। इस उद्देश्य से नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे।

106. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्र सरकार ने 15वें वित्तायोग की सिफारिशों को मानते हुए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 61.74 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 207 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस तीन गुणा बढ़ौतरी के लिए मैं इस सदन के माध्यम से वित्तायोग तथा केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। इस राशि से पहली बार छावनी क्षेत्रों को भी सीधा लाभ मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों तथा छावनी क्षेत्रों में इस राशि का प्रयोग सड़कों को पक्का करने, नालियों, गलियों, जल प्रबन्धन, जल संरक्षण, स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालयों पर किया जाएगा।

नगर व ग्राम नियोजन।

107. मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रदेश वासियों के लिए मकान बनाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमों में सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के Planning/Special Areas and ULBs में Himachal Pradesh Town & Country Planning Rules, 2014 (amended up to 2016) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत वास्तुकारों को 500 वर्ग मीटर तक के रिहायशी प्लाटों की स्वीकृति की शक्तियाँ प्रदत्त करने पर सरकार विचार करेगी।

भू–प्रशासन एवं आपदा प्रबन्धन।

108. हमारी सरकार ने पायलट आधार पर शिमला जिला की दो तहसीलों, शिमला शहरी तथा कुमारसेन में सभी राजस्व सम्बन्धी लेन–देन का ऑनलाईन पंजीकरण National Generic Document Registration System के माध्यम से करना आरम्भ किया है। इन दो तहसीलों में सफल परिणामों के बाद 2020–21 में प्रणाली को सभी तहसीलों में लागू किया जाएगा।

109. वर्तमान में भूमिहीन एवम् आवास रहित परिवारों को भूमि आबंटन करने के लिए आय सीमा 50 हजार रुपये वार्षिक है। इस आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये वार्षिक तक किया जाएगा।

110. अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि 15वें वित्तायोग की सिफारिशों को मानते हुए State Disaster Risk Management Fund (SDRMF) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए 2020–21 में 454 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह आबंटन पिछले वर्ष की तुलना में 158 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 50 करोड़ रुपये की राशि Risk Mitigation के लिए भी आबंटित की गई है। मैं इस फण्ड के गठन की घोषणा करता हूँ। हमारी सरकार इस कोष का उपयोग भू–स्खलन से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने व प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करेगी।

111. मैं राजस्व विभाग में कार्यरत अँशकालिक कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही नम्बरदारों के मासिक मानदेय को 500 रुपये बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ।

112. भारत सरकार ने महत्वकाँक्षी योजना **'जल जीवन मिशन'** के माध्यम से वर्ष 2024 के अन्त तक पूरे देश में सभी घरों में नल द्वारा शुद्ध पेयजल की सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश के 56 प्रतिशत घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है। हमारी सरकार का प्रयत्न रहेगा कि वर्ष 2024 से पूर्व ही इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी घरों में पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवा दी जाए। प्रथम चरण में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 2 हजार 900 करोड़ रुपये की लागत से 327 परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत लगभग 211 करोड़ रुपये की लागत से 209 निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। मैं 2020–21 में 1 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूँ। पेयजल।

113. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी सुचारु पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्यवधि कार्यक्रम बनाया है। शिमला शहर में 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोल डैम से उठाऊ पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है तथा तय समय सीमा के अन्दर यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 14 अन्य शहरी क्षेत्रों के कलस्टर्ज़ में भी पेयजल आपूर्ति तथा प्रबन्धन को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वकाँक्षी योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में चार कलस्टर्ज़ के 14 शहरी क्षेत्रों तथा पर्यटक क्षेत्रों में क्रमशः धर्मशाला क्लस्टर में काँगड़ा, पालमपुर, डलहौजी तथा ज्वालाजी नगर परिषद्; मण्डी क्लस्टर में मण्डी, सुन्दरनगर, नेरचौक तथा रिवालसर नगर परिषद्; कुल्लू–मनाली क्लस्टर में भुन्तर, कुल्लु तथा मनाली नगर परिषद्; और शिमला क्लस्टर में शिमला नगर निगम के साथ–साथ, सोलन नगर परिषद् सम्मिलित हैं। इन सभी क्लस्टर्ज़ का तीव्रता से शहरीकरण हो रहा है तथा यह सभी शहरी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान हैं।

114. मैं जल गार्डों, पैरा फिटर्ज़ और पम्प ऑपरेटर्ज़ के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह बढ़ौतरी करने की घोषणा करता हूँ।

2020–21 में पेयजल प्रबन्धन के लिये 2,213 करोड़ रुपये बजट राशि प्रस्तावित है।

उद्योग/निजि निवेश।

115. निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि एक समर्पित संस्था प्रदेश में सभी क्षेत्रों में निवेश लाने हेतु कार्य करे तथा बड़े निवेश प्रस्तावों का शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करे। अतः मैं इस प्रयोजन हेतु **"हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन अभिकरण (Himachal Pradesh**

Investment Promotion Agency)" की स्थापना की घोषणा करता हूँ। यह अभिकरण सभी सम्बन्धित विभागों से वाँछित क्लीयरेंसिस एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बिल विधानसभा में शीघ्र लाया जाएगा।

116. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोज़गार अवसर प्रदान करने की दृष्टि से हमारी सरकार ने कई महत्वकाँक्षी योजनाएं आरम्भ की हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, पूंजीगत उपदान, ब्याज उपदान इत्यादि की व्यवस्था की गई है। अपना स्वयं का उद्यम आरम्भ करने के लिए आवश्यक सहायता की दृष्टि से मैं **"हिम स्टार्टअप योजना (HIMSUP)"** की सहर्ष घोषणा करता हूँ। आरम्भिक चरण में स्टार्टअप उद्यमियों की सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फण्ड स्थापित किया जाएगा।

117. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। इनमें चम्बा रुमाल, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चाँदी के गहने, थान्का एपलिक, पूलें, धातु हस्तशिल्प इत्यादि शामिल हैं। इन उत्पादों से जुड़े चर्मकारों, बुनकरों और अन्य शिल्पियों तथा दस्तकारों के कौशल में विकास, Design Development तथा Innovation और इन उत्पादों के लिए उचित बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं एक नई योजना **"पारम्परिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर प्रोत्साहन परियोजना (परम्परा)"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में संकुल (Cluster) आधार पर शिल्पकारों तथा दस्तकारों और उनके उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 58 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

118. प्रदेश सरकार स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए व युवाओं को स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए **'मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना'** को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवा/युवतियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उद्योग में 60 लाख रुपये तक के निवेश पर संयन्त्र/मशीनरी के निवेश पर पुरूष उद्यमियों को 25 प्रतिशत तथा युवतियों/ महिलाओं को 30 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। मैं इस योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए 35 प्रतिशत उपदान देने की घोषणा करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, समाज के इस वर्ग के सम्मान में मैं निम्न पंक्तियाँ कहना चाहूँगाः–

हर शख्स, मुझे जीने का तरीका बताता है,
उन्हें कैसे समझाऊं, कि इक ख्वाब अधूरा है मेरा,
वरना जीना तो मुझे भी आता है।

ऊर्जा/बहुउद्देशीय परियोजनाएं।

119. जल विद्युत दोहन प्रदेश के लिए आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। 2020–21 में लगभग 515 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं चालू होने की संभावना है जिसमें 180 मैगावाट की बजोली होली, 24.6 मैगावाट की वांगर होमते और 100 मैगावाट की सोरंग तथा हि0 प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही 111 मैगावाट की सावड़ा कुड्डु शामिल हैं। 100 मैगावाट क्षमता की ऊहल को भी मई, 2020 तक चालू कर दिया जाएगा। 2020–21 में लूहरी चरण–1 210 मैगावाट, धौलासिद्ध 66 मैगावाट, चान्जू–तृतीय चरण 48 मैगावाट और दियोथल चान्जू 30 मैगावाट परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करना प्रस्तावित है।

120. रेणुकाजी परियोजना 40 मैगावाट को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 6,947 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का कार्य 2020–21 में आरम्भ होने की संभावना है।

121. प्रदेश में विद्युत उत्पादन में गति लाने तथा गैर परम्परागत ऊर्जा के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रस्तावित लगभग 3 हजार 200 करोड़ रुपये की परियोजना को भारत सरकार ने विश्व बैंक से वित्त पोषण हेतु अनुमति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से प्रदेश के दूर–दराज के इलाकों में बिजली की समस्या का समाधान हो सकेगा।

122. हमारी सरकार प्रदेश में काफी समय से अधर में लटकी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द कार्यान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निर्माताओं को एकमुश्त रियायत देने हेतु एक नीति का निर्धारण करेगी ताकि इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को गति मिल सके।

123. पांगी घाटी में बिजली की समस्या को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2020–21 में 1,000 घरों में 250 वॉट क्षमता प्रति घर के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने प्रस्तावित हैं।

124. सरकार ने गैर परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में तथा RPO (Renewable Purchase Obligation) को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 250 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक की परियोजनाएं आबंटित की हैं। इन परियोजनाओं से

उत्पन्न बिजली को क्रय करने हेतु सरकार ने हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लि0 के साथ ऊर्जा क्रय अनुबन्ध करना अनिवार्य किया है। मैं इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु 2,000 रुपये प्रति किलोवाट का उपदान देने की घोषणा करता हूँ।

125. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2020–21 में 8 अतिरिक्त EHT परियोजनाओं क्रमशः कोठीपुरा (AIIMS), नड्डूखर, नीरथ, दुधली (शिमला), मोगीनंद, कसौली, वाकनाघाट और चकवां खन्नी औद्योगिक पार्क तथा विद्युतिकरण एवं प्रणाली सुधार/संवर्धन से सम्बन्धित 65 high/low वोल्टेज़ परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। बिजली बोर्ड की संयुक्त उद्यम कम्पनी Himachal Renewables Ltd. तथा भारत सरकार के सौर ऊर्जा निगम द्वारा संयुक्त रूप से 50 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी के अन्तर्गत बैटरी भण्डारण की सुविधा के साथ काजा में बनने वाले 2 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का कार्य जून, 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

126. प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम वोल्टेज़ की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने कम वोल्टेज़ वाले क्षेत्रों की पहचान की है और 158 करोड़ रुपये की एक परियोजना प्रारम्भ की है जिसे 2020–21 के अन्त तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

127. वर्तमान में लगभग 65,000 लकड़ी के बिजली के खम्बे विभिन्न एच.टी./एल.टी. लाईनों में विद्यमान हैं। इन सभी खम्बों को 2020–21 में बदला जाएगा।

128. बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कमी के मद्देनजर 2020–21 में लगभग 3,000 कर्मचारियों, जिनमें मुख्यतः तकनीकी कर्मचारी होंगे, को नियुक्त करने की योजना है।

129. प्रदेश में बिजली के संचारण के लिए सुदृढ़ एवं कारगर प्रणाली का होना आवश्यक है। हमारी सरकार द्वारा 1 हजार 381 करोड़ रुपये की लागत से 6 सब–स्टेशन व 6 ट्रांसमिशन लाईन पूरी कर ली गई है। 2020–21 में हि0 प्र0 विद्युत संचार निगम द्वारा पॉवर ट्रांसमिशन नेटवर्क में 820 MVA क्षमता के 6 सब–स्टेशन और 200 सर्किट किलोमटर ट्रांसमिशन लाईनों को जोड़े जाने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

130. घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली देने के लिए 2020–21 में 480 करोड़ रुपये सब्सिडी प्रस्तावित है। प्रदेश के ग्रामीण तथा दूर–दराज के क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को बिजली की सुचारु आपूर्ति हेतु अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यकतानुसार उपदान का युक्तिकरण किया जाएगा।

131. अध्यक्ष महोदय, स्वरोज़गार एवम् रोज़गार की दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं के दोहन के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पर्यटन का विस्तार।

132. **'नई राहें–नई मंज़िलें'** योजना के अन्तर्गत सोलंग वैली, अटल सुरंग के साऊथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल (सिस्सू) को नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा। दो नए टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। इन नए पर्यटक सर्किटों में इको एडवेंचर और जलक्रीड़ा पर्यटन गतिविधियों पर बल दिया जाएगा। इन सर्किटों को समर्पित बस सेवा से भी जोड़ा जाएगा। बिजली महादेव तथा रोहतांग पास के लिए रोप–वे बनाने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों तथा सम्बन्धित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करके इन पर कार्य आरम्भ किया

जाएगा। मैं **'नई राहें नई मंजिलें'** योजना के लिए 2020–21 में 50 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ।

133. केन्द्रीय प्रायोजित स्वदेश दर्शन हिमालयन सर्किट के अन्तर्गत 73 करोड़ रुपये की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। माँ चिन्तपूर्णी मन्दिर को 45 करोड़ रुपये की लागत से **'प्रसाद योजना'** के अन्तर्गत लाने बारे भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से **'स्वदेश दर्शन योजना'** के अन्तर्गत अध्यात्मिक सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। यह परियोजना मण्डी में शिवधाम की स्थापना और रिवालसर का सौंदर्यकरण, बिलासपुर में बाबा नाहर सिंह मन्दिर का सौंदर्यकरण, डाडा सीबा स्थित कालेश्वर मन्दिर, हमीरपुर में अवाह देवी मन्दिर, कुल्लू में मणिकरण और सिरमौर में त्रिलोकपुर मन्दिर के लिए बनाई गई है।

134. अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सूरजकुण्ड मेले में हिमाचल प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया। इससे प्रदेश व उसके उत्पादों की जानकारी देश–विदेश तक पहुँची। प्रदेश में कई प्रकार के हस्तशिल्प व सुन्दर उत्पाद तैयार किए जाते हैं परन्तु विपणन के अभाव में शिल्पियों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। अतः मैं प्रस्तावित करता हूँ कि प्रदेश में भी सूरजकुण्ड मेले की तर्ज़ पर क्राफ्ट तथा पर्यटन मेले का आयोजन किया जाएगा।

135. पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से धर्मशाला में 'इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट' (IHM) और सुन्दरनगर में 'फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट (FCI)' की स्थापना की जाएगी।

136. राज्य में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और कुशल पर्यटक गाइडों का एक पूल बनाने के लिए एक व्यवस्था शुरु की जाएगी जिसके तहत सम्बन्धित संस्थानों के साथ मिलकर इतिहास, संस्कृति, कला, हस्तकला, संचार कौशल आधारित व्यापक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया जाएगा। कौशल विकास निगम और अन्य सम्बन्धित विभागों के सहयोग से इन गाइडों को प्रशिक्षित कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाणित और सूचीबद्ध किया जाएगा।

137. प्रदेश के युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2020–21 में 9 रोज़गार मेले तथा 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 5,000 बेरोजगार युवाओं को निजी औद्योगिक इकाईयों में रोज़गार प्रदान किया जा सकेगा। श्रम एवं रोज़गार।

138. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़क यातायात सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ बसों तथा अन्य सुविधाओं की माँग में भी लगातार वृद्धि हुई है। मैं घोषणा करता हूँ कि नाहन बस अड्डे पर बहुमंजलीय पार्किंग स्थल तथा कोटखाई, बरछवाड़, थुनाग, करसोग, भंजराडू, ठियोग तथा अम्ब में निर्माणाधीन बस अड्डों का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। दाड़लाघाट, ननखड़ी तथा बालीचौकी में बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। बंजार में पार्किंग ब्लॉक का निर्माण करवाया जाएगा। मैं 2020–21 में बस अड्डों के निर्माण के लिए 17.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मौजूदा बस अड्डों के रख–रखाव और उनके उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। परिवहन।

139. प्रदेश के विभिन्न शहरों तथा कस्बों के बीच की बस सेवा को उन्नत करने के लिए बड़े शहरों के बीच वातानुकूलित तथा सुपर डीलक्स बसें आरम्भ की जाएंगी।

परिवहन निगम द्वारा 100 नई विद्युत संचालित बसों सहित 250 बसों का क्रय किया जाएगा। शिमला की तर्ज़ पर धर्मशाला, बिलासपुर तथा मण्डी में निगम द्वारा पर्यटक परिपथ (Tourist Circuits) आरम्भ किए जाएंगे।

140. मैं हमीरपुर में एक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस ट्रांसपोर्ट नगर में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक, ट्रैफिक पार्क, प्रशिक्षण केन्द्र तथा वाहन रख–रखाव एवं मुरम्मत पार्क उपलब्ध रहेंगे।

141. प्रदेश के दूर–दराज़ के क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम में कुछ पदों को भरा जाना अत्यन्त आवश्यक है। निगम में 2020–21 में विभिन्न श्रेणियों के 1,327 पद भरे जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम को वर्ष 2020–21 के लिए 343 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

142. आम जनता की सुविधा के लिए परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा जिससे कि सभी सेवायें जनता को ऑनलाईन उपलब्ध हो सकें। 2020–21 में परिवहन विभाग में Stage Carriage, Contract Carriage तथा Driving Licence Management System की स्थापना की जाएगी ताकि इन सेवाओं के लिए आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सड़क परिवहन।

143. अध्यक्ष महोदय, सड़कों का निर्माण, गुणवत्ता एवम् सड़क सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य में वर्तमान में 37 हजार 374 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें बना ली गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 67 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया है। 595 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों, 1 हजार 227 किलोमीटर

पक्की सड़कों, 38 पुलों और 730 किलोमीटर सड़कों में जल निकास निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

144. 2 हजार 598 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्र सरकार की सहायता से दो राष्ट्रीय उच्च मार्ग, पांवटा साहिब–गुम्मा–फीडस पुल तक और हमीरपुर–मण्डी ग्रीन नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किए जाएंगे। इन दोनों राजमार्गों पर भू–अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य 2020–21 के दौरान आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे इंटर–कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्टस चरण–1 के अन्तर्गत कीरतपुर साहिब – मनाली, शिमला – परवाणू और धर्मशाला – गगरेट पर, 35 करोड़ रुपये से National Highway Safety System का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

145. परवाणू–सोलन और कीरतपुर–मनाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर four laning के कार्य को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा तथा पिंजौर – बद्दी – नालागढ़, शिमला – मटौर और पठानकोट – चक्की – मण्डी सड़कों की four laning के लिए भूमि अधिग्रहण और DPR बनाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य है।

146. विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश State Roads Transformation Project के तहत 650 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग को उन्नत किया जाएगा तथा 1 हजार 350 किलोमीटर सड़क मार्गों पर समय–समय पर रख–रखाव और अन्य संस्थागत विकास कार्य किए जाएंगे। प्रथम चरण में 130 किलोमीटर लम्बी चार सड़कों के उन्नयन का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

147. राज्य में कुल 3,226 पंचायतों में से 3,138 पंचायतों को मोटर योग्य सड़क से जोड़ा गया है। शेष बची 88 पंचायतों में से 49 को सड़कों से जोड़ने का कार्य

PMGSY, भारत निर्माण, नाबार्ड, राज्य की अपनी परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रगति पर है तथा इनका निर्माण शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। मैं प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर घोषणा करता हूँ कि शेष बची 39 पंचायतों को भी सड़कों से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। इन पंचायतों को सड़कों से जोड़ने हेतु निजी भूमि तथा पर्यावरण सम्बन्धित स्वीकृतियों के लिए मैं सम्बन्धित माननीय विधायकों से आह्वान करता हूँ कि वे सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि हेतु स्थानीय जनता के साथ संवाद स्थापित करें ताकि जल्दी इन सड़कों पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके। पंचायतों के अतिरिक्त 100 से 249 तक की जनसंख्या वाली बस्तियों को भी सड़क से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार द्वारा आरम्भ की गई **'मुख्यमन्त्री ग्राम सड़क योजना'** के अन्तर्गत 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे छूटे हुए गाँव व बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।

148. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बन रही सड़कों एवम् भवनों की गुणवत्ता तथा कार्य सुनिश्चित समय में पूरा करने के लिए पायलट आधार पर भवनों एवम् पुलों के निर्माण के लिए Engineering, Procurement & Construction (EPC) प्रणाली आरम्भ की जाएगी। इसके अतिरिक्त सड़कों से बर्फ को सुनियोजित तरीके से साफ करने के लिए आधुनिक मशीनरी जैसे स्नो ब्लोअर, स्नो प्लोअर, आइस ब्रेकर, साल्ट एण्ड सैंड स्प्रेअर्स खरीदे जाएंगे। भवन निर्माण तथा पार्किंग स्थलों के लिए pre-fabricated material का प्रयोग भी प्रस्तावित है। मैं आपातकाल की अवस्था में तुरन्त राहत के दृष्टिगत bailey bridges की inventory बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

149. राज्य सरकार द्वारा सड़कों की गुणवत्ता हेतु OPBMC (Output and Performance Based Maintenance Contract)/PBMC (Performance Based Maintenance Contract) के तहत 2020–21 में 25.89 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। सड़कों को पक्का करने के लिए 2020–21 में 500 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों पर नई प्रौद्योगिकी के तहत ठण्डे तारकोल का इस्तेमाल किया जाएगा।

150. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से 2020–21 में स्टील क्रैश बैरियर, सड़कों को चौड़ा करना तथा सड़कों और पुलों की सुरक्षा जाँच आदि के लिए 44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

151. 2020–21 में वार्षिक रख–रखाव योजना के तहत 2,278 किलोमीटर सड़कों की re-surfacing के लिए 306 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। सड़कों के रख–रखाव के लिए प्लास्टिक वेस्ट का भी प्रयोग किया जाएगा।

152. प्रदेश में राष्ट्रीय तथा राज्य उच्च मार्गों पर शौचालयों तथा अन्य सुविधाओं को अनिवार्य करने के लिए सरकार द्वारा एक Way Side Amenities Policy बनाई जाएगी। इस Policy के माध्यम से प्रदेश के राजमार्गों पर यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

153. 2020–21 में 925 किलोमीटर वाहन योग्य कच्ची सड़कों, 900 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 1,800 किलोमीटर पक्की सड़कों, 75 पुलों का निर्माण तथा 90 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

मैं सड़क निर्माण तथा रख–रखाव के लिए 2020–21 में 3,986 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूँ।

कर एवं आबकारी।

154. प्रदेश सरकार GST प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगी ताकि कर राजस्व में आवश्यक बढ़ौतरी हो और जरूरी संसाधन लोक हित में उपलब्ध हो सकें। आबकारी व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाईन और सरल किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बने और राजस्व में Buoyancy बनी रहे।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास।

155. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बाजार की माँग पर आधारित क्षेत्रों में आधुनिकतम प्रशिक्षण हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि उन्हें समुचित रोज़गार मिल सके। ऐसे ही प्रयास के अन्तर्गत प्रदेश में एक **'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'** स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान कौशल विकास निगम तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की भागीदारी से एशियन डवेल्पमेंट बैंक द्वारा पोषित परियोजना के अन्तर्गत वाकनाघाट (सोलन) में लगभग 155 करोड़ रुपये (20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की लागत से एक **'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'** की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र में मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कौशल, अनुसन्धान इत्यादि में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

156. भारत सरकार के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही **'Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement Projects (STRIVE)'** परियोजना के अन्तर्गत 2020-21 में प्रदेश के 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों में चयनित ITIs में अधोसंरचना का उन्नयन, शिक्षण एवम् अध्यापन में सुधार, Apprenticeship, Training of Trainers इत्यादि गतिविधियां सम्मिलित हैं।

157. हमारी सरकार C-DAC मोहाली, Central Tool Room Ludhiana, National Institute of Financial Management

Faridabad तथा हि० प्र० विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की भागीदारी में 10,000 युवाओं को English speaking, Insurance, GST इत्यादि विषयों में प्रशिक्षण देकर बाजार की माँग के अनुसार रोज़गार योग्य बनाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में लगे 10,000 कामगारों के कौशल को भी चरणबद्ध तरीके से Bridge Courses तथा Rapid Learning Courses के माध्यम से उन्नत किया जाएगा। इससे उनको बेहतर रोज़गार अवसर मिलेंगे।

यूँ ही नहीं होती, हाथ की लकीरों से आगे ऊंगलियाँ,
रब ने भी, किस्मत से पहले मेहनत लिखी है।

158. कौशल विकास भत्ता की सहायता से प्रदेश के हजारों युवाओं को लाभ मिला है। 2020–21 में 80,000 युवाओं को इस भत्ते का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। मैं 2020–21 के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

159. हमारी सरकार प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, धरोहर व लिपियों को संरक्षित व प्रोन्नत करने के लिए नई सांस्कृतिक नीति बनाएगी। भाषा, कला एवं संस्कृति।

160. प्रदेश में विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं और व्यक्ति सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों और पारम्परिक वेशभूषा, आभूषण एवं वाद्य यन्त्रों की खरीद के लिए वर्तमान में दिए जा रहे सहायतानुदान को दोगुना करने की मैं घोषणा करता हूँ।

161. हिमाचल के पाँच मन्दिरों – श्री ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी देवी, श्री चामुण्डा नंदीकेश्वर, श्री नयना देवी जी एवं

चिन्तपूर्णी देवी में भारत और विदेश से साल भर लोग आते हैं। हमने न्यासों के माध्यम से इन स्थानों पर लघु संग्रहालय एवं कला केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे श्रद्धालु इन मन्दिरों के इतिहास, धार्मिक आस्था और स्थानीय परम्पराओं की झलक बेहतर ढंग से ले पाएंगे।

162. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए संस्कृत भाषा से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं व कार्यशालाएं करवाई जाएंगी। पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के पंजाबी भाषी क्षेत्रों के स्कूलों में आवश्यकतानुसार पंजाबी अध्यापन का विस्तार किया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल।

163. प्रदेश में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के उद्देश्य से राज्य की खेल नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य की खेल नीति–2020 को अन्तिम रूप देकर राज्य के खिलाड़ियों को शीघ्र समर्पित कर दिया जाएगा।

खाली पड़ा है, मेरे पड़ोस का मैदान,
एक मोबाईल, बच्चों की गेंद ले गया।

164. राज्य में खेल–कूद गतिविधियों के लिए पहले से बने बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए तथा नई अधोसंरचना स्थापित करने हेतु हमारी सरकार द्वारा प्रयत्न जारी हैं। स्पोर्टस इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।

165. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में खेल पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारी सरकार द्वारा बीड़ बिलिंग में प्री–वर्ल्ड कप एवं इण्डियन नैशनल ओपन पैराग्लाईडिंग प्रतियोगिता अप्रैल, 2020 में आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में ब्यास नदी पर प्रथम एशियन रॉफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन अक्तूबर, 2020 में करने का प्रस्ताव है।

166. प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना की दृष्टि से राजमार्गों के दोनों ओर खाली पड़ी सरकारी भूमि पर विभिन्न विज्ञापनों हेतु स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इन चयनित स्थानों पर hoardings लगाने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाएगी। सूचना एवं जन–सम्पर्क।

167. पिछले वर्ष के बजट में मैंने राज्य तथा जिला स्तर के Accredited पत्रकारों को एक–एक लैपटाप देने की घोषणा की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2020–21 के दौरान उप–मण्डल स्तर के Accredited पत्रकारों को भी एक–एक लैपटाप देने की घोषणा करता हूँ।

168. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए मैं एक नई योजना **"स्वर्ण जयन्ती पोषाहार योजना"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। यह योजना एक umbrella योजना की तरह कार्यान्वित की जाएगी जिसके निम्न घटक प्रस्तावित हैंः– पोषण।

- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे आँगनबाड़ी केन्द्रों में शिशुओं के लिए fortified आहार का प्रावधान किया जा रहा है। इन

शिशुओं में कुपोषण की प्रवृति को जड़ से समाप्त करने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाले आहार को और पौष्टिक बनाने के लिए **"बाल पोषाहार टॉप–अप योजना"** का आरम्भ किया जाएगा। इसके लिए योजना के अन्तर्गत बच्चों को फल, दूध, रेशायुक्त अतिरिक्त पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 2020–21 में 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

- सरकार ने प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में प्री–प्राईमरी कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है। मैं इन प्री–प्राईमरी कक्षाओं के छात्रों के लिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था के लिए एक नई योजना **"स्वस्थ बचपन"** का प्रस्ताव करता हूँ जिस के अन्तर्गत पाठशालाओं में ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
- इसके साथ ही पहली से आठवीं तक के सभी बच्चों को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पौष्टिक आहार जैसे कि दूध अथवा स्थानीय फल की व्यवस्था के साथ टॉप–अप किया जाएगा। इसके लिए 11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में double fortified नमक तथा fortified edible oil (विटामिन A & D) युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा किः–

फल, सब्जी और अनाज,
का सेवन बढ़ायें।
फास्ट फूड से बचें,
और शरीर को स्वस्थ बनायें।।

169. अध्यक्ष महोदय, मैं, इस सदन के माध्यम से, 8 मार्च को मनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की सभी माताओं तथा बहनों को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ। समाज की उन्नति में नारी विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण भूमिकायें निभाती हैं। मैं निम्न पंक्तियाँ प्रदेश की महिलाओं को समर्पित करना चाहता हूँः–

दुनिया की पहचान है औरत,
हर घर की जान है औरत।
बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर,
घर–घर की शान है औरत।।

170. मासिक धर्म के समय माताओं, बहनों तथा किशोरियों को प्रायः परिवार तथा समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए किशोरियों, महिलाओं तथा समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से प्रदेश के 20 चयनित खण्डों में जागरुकता कार्यक्रम **"वो दिन"** एक अभियान के रूप में आरम्भ करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस योजना के लिए 2020–21 में 3 करोड़ 24 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य, आयुर्वेद, बाल एवं महिला विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहूँगाः–

नारी है तरक्की का आधार,
इनके प्रति बदलो अपने विचार।

171. हमारी सरकार द्वारा foster children की देखभाल के लिए प्रतिमाह 300 रुपये प्रति बच्चे के नाम पर सावधि जमा किये जाते हैं। यह राशि भारत सरकार द्वारा Child

Protection Services के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूँ।

172. भारत सरकार के सहयोग से 2020–21 में प्रदेश के पाँच जिलों में स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी में Integrated Rehabilitation Centers for Addicts (IRCA) खोले जाएंगे जिससे कि नशा प्रवृति से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

बिखरने के बहाने, तो बहुत मिल जाएंगे,
आओ हम जुड़ने के अवसर खोलें।

173. हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अभूतपूर्व विस्तार किया। बुढ़ापा पेंशन अब 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को बिना आय की सीमा के दी जा रही है जिससे 1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिलना शुरु हुआ है। इस समय प्रदेश में 5 लाख 34 हजार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के अस्तित्व की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष में 50 हजार और पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, विधवायें और दिव्यांगजन समाज के सबसे vulnerable वर्ग हैं। ऐसी सभी विधवायें तथा दिव्यांगजन जो कि अभी 850 रुपये की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे हैं, उन्हें अब 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। बढ़ी राशि का लाभ लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को मिलेगा। सामाजिक पेंशन दायरे के इस विस्तार के फलस्वरूप 100 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय

किए जाएंगे। इस तरह से कुल 1 लाख 75 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 766 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

घर के बाहर, रास्ते में भी जला लो कुछ दीये।
यह न सोचो कि, कौन गुज़रेगा उधर से।।

174. अटल पैंशन योजना के तहत 31–03–2020 तक पंजीकृत अंशदायियों को सरकार की ओर से 50 प्रतिशत या 2,000 रुपये तक का अंश, जो भी कम हो, दिया जा रहा है। इस योजना से अभी 86,000 लोग जिसमें मनरेगा कार्यकर्ता, कृषि/बागवानी मज़दूर कामगार, आँगनबाड़ी/सहायक, आशा कार्यकर्ता, मिड–डे मील कार्यकर्ता इत्यादि लाभ ले रहे हैं। मैं वर्तमान लाभार्थियों को और नए लोगों को पैंशन सुविधा का लाभ लेने के लिए इस योजना को सहर्ष 31–3–2021 तक बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। वर्ष 2020–21 में इसके लिए 15 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

175. इस समय आँगनबाड़ी, आशा, जल वाहक, वाटर गार्ड, मिड–डे मील, सिलाई अध्यापिका, इत्यादि बीमा योजना में शामिल नहीं हैं। हमारा प्रस्ताव है कि इन वर्गों को भी बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।

176. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जन–जाति निगम के उन लाभार्थियों के लिए जिन्हें कर्जा वापिस करने में वास्तविक कठिनाईयां हैं, उनको राहत देने के लिए one time settlement की योजना लाई जाएगी।

177. अध्यक्ष महोदय, मैं आँगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को 500 रुपये प्रति माह, मिनी

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय को 300 रुपये प्रति माह तथा आँगनबाड़ी सहायिका के मानदेय को 300 रुपये प्रति माह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

जन–जातीय विकास।

178. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के लिए अनुसूचित जन–जाति कल्याण तथा अनुसूचित जन–जातीय क्षेत्रों का सतत् एवम् समावेशी विकास, प्राथमिकता रही है। जन–जातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2020–21 में 1,758 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण।

179. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की जनता का देश की रक्षा हेतु सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में योगदान वन्दनीय है। हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई आवश्यक निर्णय लिए हैं। आगे भी प्रयास रहेगा कि उनके कल्याण के लिए यथासम्भव प्रयत्न जारी रखे जाएं। मैं घोषणा करता हूँ कि युद्ध जागीर के लाभार्थियों को मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि को 5,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 7,000 रुपये वार्षिक किया जाएगा।

180. प्रदेश के उन स्थानों में जहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कैंटीन तथा विस्तार काऊंटर खोलने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढाँचा (अस्थाई लागत सहित) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगाः–

समर्पित कर दिया जीवन, जिन्होंने देश के लिए,
चलो, उनके लिए कुछ करते हैं।

गृह/कानून व्यवस्था।

181. प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था बनाये

रखने तथा यातायात प्रबन्धन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए सतर्कता आवश्यक है। इस उद्देश्य से मैं 176 पुलिस वाहनों में माऊंटिड कैमरे लगाने की घोषणा करता हूँ। इन कैमरों को पुलिस नियन्त्रण कक्ष के साथ जोड़ा जाएगा ताकि अवाँछित गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी जा सकेगी। इनसे ड्रग्स तस्करी पर भी नकेल कसने में सहायता मिलेगी।

182. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश की पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया है। Body worn कैमरों की मदद से असामाजिक तत्त्वों तथा उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी निगरानी करने में बहुत सहायता मिली है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्ष 2020–21 के दौरान 500 अतिरिक्त Body Worn कैमरे क्रय करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त 500 CCTV कैमरे पुलिस की सहायता के लिए लगाये जाएंगे।

183. साईबर अपराधों की रोकथाम तथा इनसे निपटने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत 'साईबर समन्वय केन्द्र' को आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उपकरणों से लैस किया जाएगा।

184. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अवैध खनन पर्यावरण एवम् किसानों की आजीविका के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। अवैध खनन पर पैनी नजर रखने हेतु मैं प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहाँ से अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, में 10 Dedicated Mining Check Posts स्थापित करने की घोषणा करता हूँ ताकि अवैध खनन् को रोका जा सके। इन Check Posts का संचालन संयुक्त रूप से उद्योग तथा पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा।

185. अपराध जाँच में फॉरेंसिक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में DNA database तैयार किया जाएगा जिससे कि अपराधों की बेहतर छानबीन हो सके। फॉरेंसिक सेवाओं का आधुनिक तकनीकों से सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार किया जाएगा और आवश्यकतानुसार तकनीकी पदों का सृजन किया जाएगा।

186. अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के प्रति हमारी सरकार की Zero Tolerance की नीति है। बद्दी में Vigilance के थाने की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रदेश के Vigilance Manual को Central Vigilance (CVC) Manual 2017 के आधार पर संशोधित किया जाएगा।

187. अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैं 5 Fire Posts को upgrade करके Sub Fire Station बनाने की घोषणा करता हूँ।

188. अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने 1,063 कांस्टेबल के पद भरने की घोषणा की थी। आरक्षी बल शक्ति को और अधिक सशक्त करने के लिए मैं आगामी वर्ष पुलिस कांस्टेबल के 1,000 पद भरने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं गृह विभाग, जिसमें पुलिस, गृह रक्षक, अग्नि शमन तथा कारागार शामिल हैं, के लिये 1,729 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

कर्मचारी कल्याण।

189. कर्मचारियों से लगातार आ रही माँग के दृष्टिगत नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को, जो दिनांक 22-09-2017 से पूर्व सेवानिवृत हुए हैं, को मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान देने का मामला कुछ समय

से सरकार के विचाराधीन था। मैं ऐसे कर्मचारियों, जो नई पेंशन प्रणाली में आते हैं को ग्रेच्युटी देने की घोषणा करता हूँ। इस निर्णय से नई पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले 5,500 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस प्रयोजन हेतु 110 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

190. हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रही है। 25 जनवरी को मैंने कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए 5 प्रतिशत DA/DR की घोषणा की थी जिस पर सरकार सालाना 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को नये वेतनमान/संशोधित पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

191. अनुबन्ध कर्मचारियों को मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा 125 प्रतिशत ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जा रहा है। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष उन्हें मूल वेतन जमा ग्रेड पे जमा 150 प्रतिशत ग्रेड पे की दर से वेतन दिया जाएगा। इससे 22 हजार अनुबन्ध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

192. दिहाड़ीदारों को मिलने वाली न्यूनतम दिहाड़ी 250 रुपये से 275 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। अन्य दिहाड़ीदारों की इसी अनुपात में दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी। अंशकालिक कर्मियों की प्रति घंटा दरों में भी बढ़ौतरी की जाएगी।

193. मैं सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों/ विश्वविद्यालयों व स्वायत निकायों के नियमित, अंशकालिक, अनुबन्ध व दैनिक भोगी कर्मचारियों की **'व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना'** के बीमा कवर को बढ़ाने की घोषणा करता

हूँ। दुर्घटना होने पर सुनिश्चित बीमा राशि को मृत्यु अथवा पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये बढ़ाया जाएगा। आँशिक क्षति की दशा में यह राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को थोड़ा सा अधिक प्रीमियम देना होगा।

194. वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक अस्थिबाधित विकलांग (orthopaedically handicapped) एवं दृष्टिहीन (blind) सरकारी कर्मचारियों को 500 रुपये की दर से वाहन भत्ता दिया जा रहा है, मैं वाहन भत्ते की दर को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

195. वर्तमान सरकार द्वारा गत दो वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के 4 हजार 278 नए पद सृजित किए गए और विभिन्न विभागों में 15 हजार 315 पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। हमारी सरकार विभिन्न विभागों के 20,000 functional पदों को भी भरेगी जिनमें डॉक्टर, अध्यापक, पैरा मैडिकल स्टाफ, नर्सें, पुलिस कान्सटेबल, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद, HRTC में ड्राईवर एवं कण्डक्टर, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के कर्मी, शिक्षा विभाग में पार्ट टाईम वर्कर इत्यादि शामिल हैं।

वैकल्पिक यातायात सुविधा।

196. अध्यक्ष महोदय, लगभग 50 साल के सफर में हिमाचल प्रदेश ने आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब समय आ गया है जब प्रदेश को निजी निवेश के लिए most favoured destination के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश में सड़क यातायात के साथ–साथ यातायात के अन्य विकल्पों को भी विकसित किया जाए।

197. प्रदेश में वर्तमान में दो रेल परियोजनाएं क्रमशः भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी तथा चण्डीगढ़–बद्दी कार्यान्वित की जा रही हैं। भानुपल्ली–बिलासपुर–बैरी रेल लाईन के प्रथम 20 किलोमीटर पर भू–अधिग्रहण पूरा हो चुका है तथा इस पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं। शेष बची alignment पर भी भू–अधिग्रहण के बाद निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा। इस परियोजना पर निर्माणाधीन कार्यों के लिए 2019–20 में बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त 105 करोड़ रुपये राज्य अँशदान के रूप में दिए गए हैं। चण्डीगढ़–बद्दी रेल लाईन पर भू–अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। इसे शीघ्र ही पूरा करके इस पर निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रयत्न किया जाएगा। यह रेल परियोजनायें राज्य तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएंगी।

198. प्रदेश में अन्तर्देशीय जल परिवहन की संभावनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में यातायात आरम्भ करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में तत्तापानी से सलापड़ तक अन्तर्देशीय जल यातायात सुविधायें 2020–21 में जनता को समर्पित की जाएंगी।

199. मैं बगलामुखी (मण्डी) तथा नारकण्डा से हाटू माता मन्दिर तक दो रोप–वेज़ की निर्माण प्रक्रिया को 2020–21 में PPP मोड में शुरु करने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि आवश्यकता हुई तो Viability Gap Funding (VGF) के लिए राज्य बजट से आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी।

200. इसी प्रकार राज्य में हेली टैक्सी को गति देने के लिए, 5 नये हैलीपोर्टस का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चम्बा शहर को भी उड़ान–2 के तहत शामिल किया जाएगा। इन पाँच हैलिपोर्टस को चलाने के बाद प्राप्त

अनुभव के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालयों पर हैलिपोर्टस निर्मित किए जाएंगे।

201. वर्तमान में प्रदेश में स्थित काँगड़ा (गग्गल) और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार काँगड़ा तथा शिमला के हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाएगी। मण्डी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण हेतु Airport Authority of India के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के बाद भू–अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। इन हवाई अड्डों के विस्तार तथा मण्डी में नए हवाई अड्डे के निर्माण से प्रदेश में पर्यटकों को यातायात के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध होंगे।

हवाई अड्डों के विस्तार, निर्माण तथा हैलिपोर्टस के निर्माण हेतु मैं 2020–21 के दौरान 1,013 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव करता हूँ।

अपनी लम्बाई का, गरूर है रास्तों को,
लेकिन वो मेरे कदमों के, मिज़ाज नहीं जानते।

आवास सुविधाएं।

202. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लिए यह हर्ष की बात है कि प्रत्येक प्रदेशवासी के पास रात गुजारने के लिए छत उपलब्ध है। फिर भी एक खुशहाल प्रदेश की यह पहचान है कि प्रदेशवासी उन्नत एवं आवश्यक सुविधाओं से युक्त आवासों में रहें। हमारी सरकार प्रदेश के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में संकल्प करती है कि प्रदेश के गरीब एवम् पात्र वासियों को नल, बिजली एवम् शौचालय की सुविधा सहित एक घर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए **'जल जीवन मिशन'** और **'रोशनी'** योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। मैं 2020–21 के लिए निम्न प्रस्ताव रखता हूँः–

- हमारी सरकार ने पिछले बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी आवास योजनाओं के अन्तर्गत 20 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की थी। हमारी सरकार की इस पहल से प्रदेश की गरीब जनता को लाभ पहुँचा है। अब मैं 20 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भी प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।
- आवास हेतु उपदान के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदन लम्बित हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि 2022 तक इन सभी लम्बित पात्र आवेदकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कर दिया जाएगा।
- 2020–21 में प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत 10 हजार नए लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जाएगा जो कि पिछले वर्ष के लक्ष्य से दोगुना से भी अधिक है। इन आवासों का निर्माण निम्न घटकों से किया जाएगाः–
  - ✓ अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों के लिए 51 सौ आवास जिसके लिए मैं नई **"स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना"** की घोषणा करता हूँ।
  - ✓ मुख्यमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत 31 सौ आवास।
  - ✓ प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 1,000 आवास।
  - ✓ प्रधानमन्त्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 800 आवास।

203. आवास के क्षेत्र में प्रदेश सरकार का यह एक महत्वकाँक्षी initiative है। इस उद्देश्य के लिए 160 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं।

बजट अनुमान।

204. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2019–20 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 32 हजार 330 करोड़ रुपये हैं। 2019–20 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 36 हजार 337 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा 4 हजार 7 करोड़ अनुमानित है।

205. अध्यक्ष महोदय, 2020–21 का कुल बजट 49 हजार 131 करोड़ रुपये का है। वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्तियां 38 हजार 439 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 39 हजार 123 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 684 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 7 हजार 272 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत है।

206. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये प्रस्तुत बजट अनुमानों में नए कर का प्रस्ताव नहीं है। 2019–20 के बजट अनुमान के मुकाबले प्रदेश के अपने राजस्व में 2020–21 में 11 प्रतिशत की बढ़ौतरी अनुमानित है। मुझे विश्वास है कि प्रभावी कर प्रबंधन, भारत सरकार के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय फण्डिंग एजेन्सी एवं युक्तिकरण से नई और पहले से चालू योजनाओं हेतु संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाएगी।

207. 2020–21 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये में से, वेतन पर 26.66 रुपये, पैंशन पर 14.79 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10.04 रुपये, ऋण अदायगी पर 7.29 रुपये, जबकि शेष 41.22 रुपये विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष

के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है।

208. अब मैं बजट के मुख्य सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त करने के 50वें वर्ष पर 2020–21 को हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयन्ती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
- फरवरी, 2020 तक 189 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 47 हजार 848 शिकायतें व माँगे प्राप्त हुईं, इनमें से 43 हजार 548 शिकायतों का सन्तोषजनक निपटारा किया गया।
- 'मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प' के माध्यम से फरवरी, 2020 तक 37 हजार 990 शिकायतों का सन्तोषजनक निवारण किया गया।
- 2019–20 में विकास दर 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- पिछड़े क्षेत्रों में एक नया "Aspirational Development Block Programme (ADBP)" शुरू होगा।
- District Good Governance Index में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को ईनाम दिये जाएंगे।
- 2020–21 की वार्षिक योजना 7,900 करोड़ रुपये की होगी।
- विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र धनराशि सीमा 120 करोड़ रुपये होगी।
- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अब 1 करोड़ 75 लाख रुपये तथा विवेक अनुदान राशि 10 लाख रुपये होगी।

- माननीय विधायकों, राजपत्रित श्रेणी I & II के सरकारी अधिकारियों तथा अन्य संपन्न वर्ग से PDS के अन्तर्गत मिलने वाले उपदान को स्वेच्छा से त्याग करने की अपील।
- 'गृहिणी सुविधा योजना' के तहत नये पात्र परिवारों को भी लाभान्वित किया जाएगा।
- किसानों/बागवानों के FPOs के लिए 20 करोड़ का कृषि कोष।
- हींग तथा केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए "कृषि से संपन्नता योजना" (KSY) आरम्भ होगी।
- 2020–21 के अन्त तक कम से कम 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- नादौन मध्यम सिंचाई परियोजना को कमीशन कर दिया जाएगा।
- प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 338 करोड़ की लागत से 111 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा तथा 87 करोड़ की लागत से 4 नई योजनायें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित।
- Command Area Development (CAD) योजना के अन्तर्गत किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने पर बल।
- "कृषि उत्पाद संरक्षण (एण्टी हेलनेट) योजना (KUSHY)" के अन्तर्गत हेल नेट के लिए बाँस अथवा स्टील के स्थाई structure पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
- मधुमक्खी पालन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए मधु उत्पादन एवम् प्रसंस्करण योजना (MUPY) प्रारम्भ।

- सुगन्धित पौधों के लिए एक नई योजना 'महक' का आरम्भ।
- 11 जिलों के 3,300 गाँवों में निःशुल्क गर्भाधान योजना आरम्भ होगी।
- काँगड़ा जिला में जर्सी गायों की बछड़ियों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कार्यक्रम।
- गैर–जनजातीय जिलों में एक गौ–अरण्य एवं एक बड़े गौ–सदन की स्थापना।
- सभी वर्गों के लाभार्थी प्रजनन के लिए भेड़ पर उपदान के पात्र होंगे।
- मुर्गी पालन क्षेत्र में "हिम कुक्कुट पालन योजना" (HIMKUPY) आरम्भ होगी।
- पशुपालकों के लिए प्रदेश में पॉयलट आधार पर "मोबाईल पशुचिकित्सा सेवा (MOVES)" का प्रावधान।
- दूध खरीद मूल्य को 2 रुपये बढ़ाया जाएगा।
- जल संग्रहण, प्रबन्धन एवम् संरक्षण के लिए नई योजना 'पर्वत धारा' का आरम्भ किया जाएगा। वन क्षेत्र में इस योजना का कार्यान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- प्रदेश भर में 2,000 लोकमित्र केन्द्रों की स्वीकृति।
- मनरेगा कामगारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए नई योजना 'उन्नति' तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क एवं बाग बनाने के लिए 'पंचवटी' योजना आरम्भ की जाएगी।
- 500 ग्राम पंचायतों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य।
- तम्बाकू सेवन मुक्त पंचायत को 5 लाख रुपये अनुदान।
- 12,000 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण।

- वन विभाग की पौधशालाओं में 50,000 चंदन के पौधे तैयार किए जाएंगे।
- बजट में शिक्षा की गुणवत्ता पर बल। प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता हेतु "स्वर्ण जयन्ती ज्ञानोदय क्लस्टर योजना (ज्ञानोदय)" शुरु होगी।
- "स्वर्ण जयन्ती उत्कृष्ट विद्यालय योजना (उत्कृष्ट)" के अन्तर्गत 68 स्कूल जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 500 या इससे अधिक है, को उन्नयनित किया जाएगा।
- 9 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट महाविद्यालयों के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- B.Voc डिग्री प्रोग्राम 6 नये महाविद्यालयों में शुरु।
- "स्वर्ण जयन्ती सुपर 100" योजना आरम्भ होगी।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय को Affiliating विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
- NCC युवाओं को फौज/पैरामिलिटरी और पुलिस सेवाओं में भर्ती को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक बटालियन और कम्पनी खोली जाएगी।
- MDR तपेदिक रोगियों के लिए 1,500 रुपये प्रति माह की दर से सहायता दी जाएगी।
- महिलाओं में breast cancer का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने के लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में Mammography मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- 'सहारा' योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।

- मुफ्त 56 diagnosticटैस्टों की सुविधा सभी वर्गों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
- दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 10 "मोबाइल हेल्थ सेन्टर" शुरु किए जाएंगे।
- 108 सेवा के अन्तर्गत 100 पुरानी एम्बुलैंस को शीघ्र बदला जाएगा।
- बेसहारा लोगों को मुफ्त ईलाज तथा diagnostic सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना "सम्मान" का भारम्भ।
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त दवाईयों के वितरण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों को आयुर्वेदिक दवाईयां मुफ्त दी जाएंगी।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
- स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए पुरस्कार।
- शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 61.74 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 207 करोड़ रुपये तथा छावनी क्षेत्रों के लिए पहली बार यह अनुदान दिया जाएगा।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2024 से पहले प्रदेश के सभी घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
- 2020–21 में एक लाख घरों को शुद्ध पीने के पानी के कुनेक्शन दिए जाएंगे।
- प्रथम चरण में 14 शहरी क्लस्टर्ज़ में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

- नया निवेश आकर्षित करने के लिए "हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन अभिकरण (Himachal Pradesh Investment Promotion Agency)" की स्थापना।
- नये उद्यमों के लिए **"हिम स्टार्टअप योजना (HIMSUP)**" शुरु।
- चर्मकारों, बुनकरों, दस्तकारों और अन्य शिल्पियों तथा दस्तकारों के लिए नई योजना "पारम्परिक हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्लस्टर परियोजना (परम्परा), शुरु"। इसके लिए 58 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष तक की विधवाओं को आजीविका के लिए 35 प्रतिशत बढ़ा हुआ उपदान।
- प्रदेश में वर्ष 2020–21 के दौरान 515 मैगावाट की विभिन्न जल विद्युत परियोजनायें कार्य करना आरम्भ कर देंगी व 394 मैगावाट की नई परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
- प्रदेश के निवासियों को 250 से 500 किलोवाट की सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2,000 रुपये प्रति किलोवाट का उपदान दिया जाएगा।
- पांगी घाटी के 1,000 घरों में 250 वॉट के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे।
- धर्मशाला में 'इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट (IHM) और सुन्दरनगर में 'फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट (FCI)' की स्थापना।
- बीड़ बिलिंग में प्री–वर्ल्ड कप एवं इण्डियन नैशनल ओपन पैराग्लाईडिंग प्रतियोगिता तथा ब्यास नदी पर प्रथम एशियन रॉफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
- शेष बची 39 पंचायतों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा तथा कोई भी पंचायत बिना सड़क के नहीं रहेगी।

- राजमार्गों पर पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाएगी।
- 925 किलोमीटर वाहन योग्य कच्ची सड़कों, 900 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 1,800 किलोमीटर पक्की सड़कों, 75 पुलों का निर्माण तथा 90 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़े जाएंगे।
- वाकनाघाट (सोलन) में 155 करोड़ (20 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की लागत से एक 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना।
- 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का अधुनिकीकरण।
- उप मण्डल स्तर पर Accredited पत्रकारों को Laptop दिये जाएंगे।
- प्री–प्राईमरी में बच्चों के लिए "स्वस्थ बचपन" योजना के अन्तर्गत भोजन की व्यवस्था।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए नई "बाल पोषाहार टॉप अप योजना" लागू होगी।
- Menstrual hygeine के बारे जागरुकता हेतु "वो दिन" कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- राज्य में भारत सरकार की सहायता से पाँच Integrated Rehabilitation Centres of Addicts स्थापित किए जाएंगे।
- 50 हजार अतिरिक्त पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी तथा विधवा, दिव्यांगजन की पेंशन राशि को 850 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह किया गया। इससे कुल 1 लाख 75 हजार लोगों को लाभ पहुँचेगा।
- आँगनबाड़ी कार्यकताओं, मिनि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, आँगनबाड़ी सहायिका, सिलाई अध्यापिका, मिड डे मील वर्कर, वाटर गार्ड, पैरा फिटर, पैरा पम्प

आपरेटर, पंचायत चौकीदार इत्यादि के मानदेय में बढ़ौतरी की गई।

- शिक्षा विभाग के IT शिक्षकों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।
- युद्ध जागीर के लाभार्थियों की वार्षिक अनुदान राशि में बढ़ौतरी।
- अवैध खनन की रोकथाम हेतु 10 Dedicated Mining Check Posts स्थापित की जाएंगी।
- 5 अग्निशमन पोस्ट को स्तरोन्नत करके अग्निशमन उप–केन्द्र बनाया जाएगा।
- NPS के तहत 22–09–2017 से पहले सेवानिवृत कर्मियों को ग्रेच्युटी दी जाएगी।
- अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी।
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 275 रुपये की गई।
- दृष्टिहीन एवम् 70 प्रतिशत से अधिक Orthopedically disabled कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता बढ़ाकर 750 रुपये किया जाएगा।
- 2020–21 में 20,000 खाली पदों को भरे जाने का लक्ष्य जिसमें 3,000 पद राज्य विद्युत बोर्ड, 1,000 पद कान्सटेबल, लगभग 5,000 पद शिक्षा विभाग, 1,300 पद HRTC, तथा लोक निर्माण, राजस्व, वन, पशुपालन तथा अन्य विभागों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी शामिल हैं।
- तत्तापानी से सलापड़ तक अन्तर्देशीय जल यातायात सुविधायें प्रदान की जाएंगी।
- बगलामुखी (मण्डी) तथा नारकण्डा से हाटू माता मन्दिर तक दो रोप–वेज़ की निर्माण प्रक्रिया को 2020–21 में PPP मोड में शुरु किया जाएगा।
- राज्य में हेलीटैक्सी को गति देने के लिए, 5 नये हेलीपोर्टस का निर्माण किया जाएगा।

- काँगड़ा (गग्गल) और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मण्डी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भू–अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी।
- हवाई अड्डों के विस्तारीकरण, मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण तथा हेलिपोर्टस के निर्माण के लिए 1,013 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 5,100 परिवारों को घर। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों के लाभार्थियों को शहरी तथा ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत 4,900 घर।

209. अध्यक्ष महोदय, सभी आर्थिक क्षेत्रों को सम्बोधित करते हुए यह बजट समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने का एक प्रयास है। इसके अधिकतर प्रस्ताव कौशल विकास एवम् उद्यमिता को प्रोत्साहित करके युवाओं को एक बेहतर भविष्य उपलब्ध करवाने के प्रति समर्पित हैं। कृषि, अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों तथा सिंचाई में नवाचारों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु विशेष प्रयास प्रस्तावित किए गए हैं। हमने सामाजिक क्षेत्र में गरीब तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अभूतपूर्व विस्तार किया है व साथ ही गरीबों, विशेषतः अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास संख्या को भी दोगुना कर दिया है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बच्चों में कुपोषण की समस्या को सुलझाने हेतु सभी को समुचित पोषण उपलब्ध करवाना हमारा प्रयास रहा है। एक ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देते हुए, हमने प्राथमिक पाठशालाओं से महाविद्यालय स्तर तक, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु 'road-map' लागू किया है। बजट में सड़क निर्माण, सिंचाई योजनाओं, पेयजल आपूर्ति व गैर सड़क यातायात जैसे पूंजीगत अधोसंरचना कार्यों के लिए समुचित प्रावधान किया गया है। विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों एवं

अधिकारियों, जो कि राज्य की आर्थिकी एवं प्रशासन की रीढ़ हैं, के लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान किए गए हैं। हम ऐसे समावेशी, विकासोन्मुखी हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं, जो निवेश एवं रोज़गार के लिए नये द्वार खोले।

मान्यवर अन्त में, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को माननीय सदन को संस्तुत करना चाहूँगा :–

सफ़र की हद है यहाँ तक की, कुछ निशान रहें,
चले चलो के जहाँ तक, ये आसमान रहे।
ये क्या उठाये कदम, और आ गई मंजिल,
मज़ा तो जब है, के पैरों में कुछ थकान रहे।।

जय हिन्द – जय हिमाचल